



मध्यप्रदेश शासन

# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष  
2019-2020

राजस्व विभाग





मध्यप्रदेश शासन

# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग



**विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन**  
**वर्ष 2019-20 मध्यप्रदेश शासन**  
**राजस्व विभाग**

**मंत्रालय**

| विभाग          | राजस्व विभाग                |
|----------------|-----------------------------|
| मंत्री, राजस्व | श्री गोविन्द सिंह राजपूत जी |
| प्रमुख सचिव    | श्री मनीष रस्तोगी           |
| सचिव           | श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटील   |
| अपर सचिव       | श्रीमती जी.व्ही. रश्मि      |
|                | डॉ. श्री कान्त पाण्डेय      |
| उप सचिव        | श्री मुजीबुर्रहमान खान      |
|                | श्री दिनेश कुमार मौर्य      |
|                | श्रीमती उमा माहेश्वरी       |
| अवर सचिव       | सुश्री सुमन रायकवार         |
|                | श्री एन.पी. अहिरवार         |
|                | श्री आर.एस. वर्मा           |
|                | श्री अनूप कुमार मुण्डा      |
|                | श्री संजीव जैन              |

**विभागाध्यक्ष**

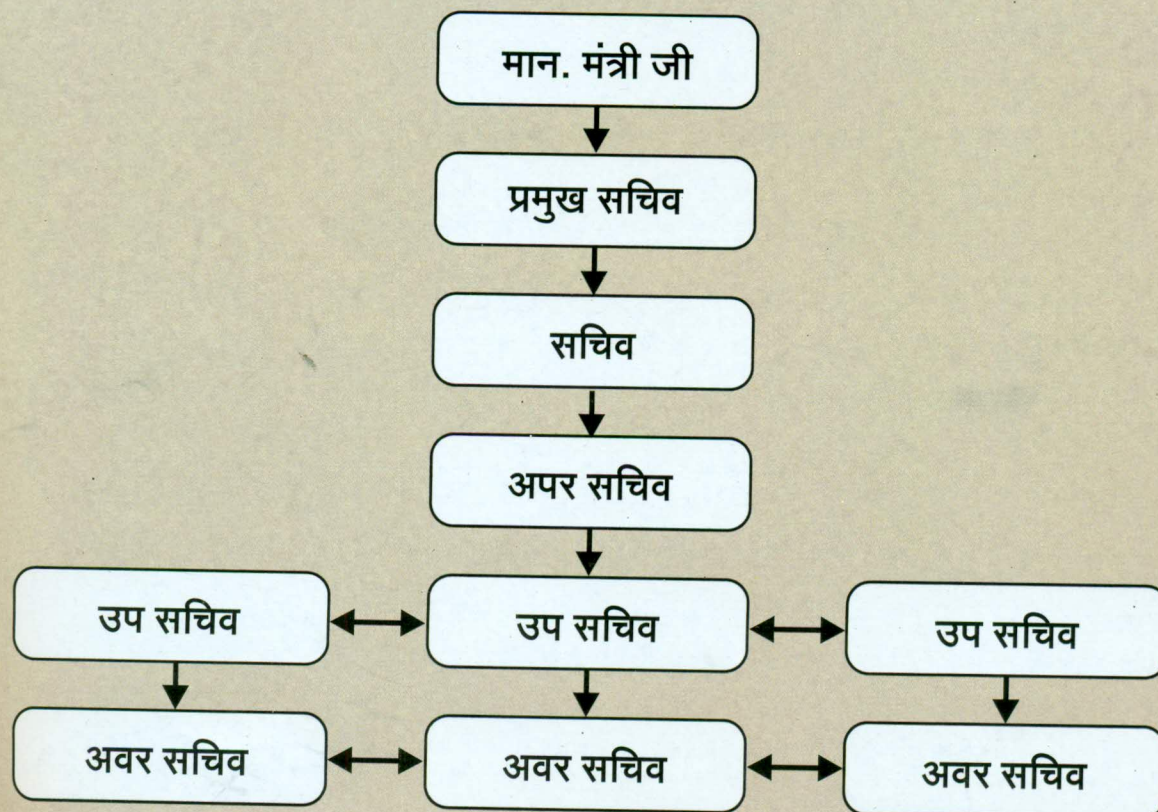
|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर        | श्री एम. गोपाल रेड्डी     |
| राहत आयुक्त                              | श्री मनीष रस्तोगी         |
| पुनर्वास आयुक्त                          | श्री मनीष रस्तोगी         |
| आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त           | श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटील |
| नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री | श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटील |
| प्रमुख राजस्व आयुक्त                     | श्रीमती जी.व्ही. रश्मि    |



## राजस्व विभाग

### राजस्व विभाग की संरचना -

राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री के अधीन है, जिनकी सहायता के लिए सचिवालय स्तर पर 1 प्रमुख सचिव पदस्थ हैं, विभाग में 2 सचिव, 1 अपर सचिव, 3 उप-सचिव, 5 अवर सचिव पदस्थ हैं, राजस्व विभाग को सौंपे गए उत्तरदायित्व के लिए विभाग में कुल 8 शाखाएं कार्यरत हैं।



### विभाग के अधीन विभागाध्यक्ष कार्यालय

राजस्व विभाग के दायित्वों के निर्वहन और क्रियान्वयन के लिए विभाग में निम्नानुसार विभागाध्यक्ष कार्यालयों की स्थापना की गई है-

- (1) मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्यप्रदेश
- (2) प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल मध्यप्रदेश
- (3) राहत आयुक्त, भोपाल मध्यप्रदेश
- (4) पुनर्वास आयुक्त, भोपाल मध्यप्रदेश
- (5) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- (6) नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल मध्यप्रदेश



## संभाग एवं जिले -

| क्र. | संभाग      | संभाग में सम्मिलित जिले                                                  |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | चम्बल      | भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर                                                |
| 2.   | ग्वालियर   | ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना एवं अशोकनगर                               |
| 3.   | इंदौर      | इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर एवं अलीराजपुर      |
| 4.   | उज्जैन     | उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच एवं आगरमालवा                 |
| 5.   | भोपाल      | भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं विदिशा                                  |
| 6.   | नर्मदापुरम | होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल                                                |
| 7.   | सागर       | सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, निवाड़ी एवं टीकमगढ़                           |
| 8.   | रीवा       | रीवा, सीधी, सतना एवं सिंगरौली                                            |
| 9.   | जबलपुर     | जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डौरी |
| 10.  | शहडोल      | शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया                                                |

संभाग स्तर पर राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाता है। उनकी सहायता के लिये शासन द्वारा एक या एक से अधिक अपर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में राजस्व विभाग का प्रतिनिधि जिला-कलेक्टर रहता है, जिसकी सहायता के लिये अपर कलेक्टर एवं अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पदस्थ रहते हैं। ये सभी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी के रूप में परिभाषित किये गये हैं और इन्हें राजस्व न्यायालयों की शक्तियां दी गई हैं।

### राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

#### राजस्व मण्डल पृष्ठभूमि एवं गठन

मध्यप्रदेश राज्य के गठन के पहले मध्यप्रांत तथा बरार, मध्यभारत, विंध्यप्रदेश क्षेत्रों में राजस्व मण्डल कार्यरत था, जबकि भोपाल में राजस्व मण्डल जैसी संस्था नहीं थी। इन सभी क्षेत्रों में स्थापित राजस्व मण्डलों को दिनांक 01-11-1956 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एकीकृत करते हुए संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए एक राजस्व मण्डल की स्थापना की गई तथा इसकी मुख्यपीठ ग्वालियर में रखी गई। राजस्व मण्डल द्वारा मुख्यपीठ के अतिरिक्त भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, एवं सागर में संभागीय मुख्यालयों पर सर्किट कोर्ट लगाये जाते हैं, जहां संबंधित क्षेत्रों के प्रकरणों की सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता है।



## स्वतंत्र व निष्पक्ष

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-3 के अंतर्गत राजस्व मण्डल का गठन किया गया है जिसके अनुसार मण्डल में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त दो या अधिक सदस्य रहते हैं। मण्डल के अध्यक्ष, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव स्तर के तथा प्रशासनिक सदस्य व सभी अन्य सदस्य सुपर टाईम स्केल अथवा इससे ऊपर के अधिकारी रहते हैं। इनमें वरिष्ठतम अधिकारी प्रशासनिक सदस्य होता है। न्यायिक व्यवस्था को निष्पक्ष व शासन तंत्र से स्वतंत्र रखने की दृष्टि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य उपलब्धियां राज्य की संचित निधि में भारित रूप में रखी गई हैं।

## कर्तव्य एवं शक्तियां

### मण्डल को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :-

राजस्व मण्डल मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी है। इसके अतिरिक्त राजस्व मण्डल को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 के अंतर्गत निम्न अधिकार प्रदत्त किये गये हैं :-

- 1- धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण की शक्तियां
- 2- धारा 29 (1) के अंतर्गत मामलों के अंतरण की शक्ति
- 3- धारा 44 के अधीन अपीलें सुनने की शक्ति
- 4- धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति
- 5- धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन की शक्ति
- 6- धारा 262 (3) के अंतर्गत राज्य शासन की शक्तियां

मुख्य राजस्व प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी के रूप में मण्डल निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है :-

- 1- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 (2) के अंतर्गत बने अपील नियमों के नियम 2 तथा 7 के अधीन पुनरीक्षण एवं अपील के अधिकार।
- 2- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अध्याय 6 के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां।
- 3- मध्यप्रदेश कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट, 1899 की धारा 12 (2) तथा 15 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार राजस्व मण्डल को दिए गये हैं।
- 4- मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 4(3) तथा 41 के अंतर्गत राजस्व मण्डल को अपीलीय अधिकार दिए गये हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन मण्डल को पुनरीक्षण के अधिकार भी प्राप्त हैं।

## अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को विशेषाधिकार

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संशोधन अधिनियम 2018) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अलावा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 4-1/96/1/9 भोपाल, दिनांक 27-03-1996 द्वारा राज्य शासन ने अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को मध्यप्रदेश के कमिश्नरों, कलेक्टरों एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण करने के अधिकार दिये हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश लोक न्यास, अधिनियम, 1951 की धारा 4 (-) के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, राजस्व मण्डल को पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।



### मण्डल का सचिवालय

प्रशासनिक सहायता तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से मण्डल का एक कार्यालय है जिसमें एक सचिव (आई.ए.एस.) संवर्ग का अधिकारी है। उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं -

|                     |   |
|---------------------|---|
| अवर सचिव            | 2 |
| अनुभाग अधिकारी      | 2 |
| सहा. अनुभाग अधिकारी | 2 |
| स्टॉफ ऑफिसर         | 1 |
| लेखाधिकारी          | 1 |

इसके अतिरिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य पद भी स्वीकृत हैं। वर्तमान में मण्डल में कुल 115 पदों के विरुद्ध कुल 70 कर्मचारी कार्यरत हैं।

### मण्डल के कार्य/उपलब्धि

- 1- राजस्व मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अंतर्गत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्तर के राजस्व न्यायालयों को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से मण्डल द्वारा पुरानी पद्धति से हटकर कुछ ठोस प्रयोग किये गये हैं जिनके परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं।
- 2- राजस्व मण्डल का मुख्यालय (मुख्यपीठ) ग्वालियर में है। वर्तमान में मण्डल में अध्यक्ष सहित चार पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर की जाती है।

जन सामान्य को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के अन्य संभागों के 44 जिलों के प्रकरणों की सुनवाई हेतु मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य के छः संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा एवं सागर पर सर्किट कोर्ट की व्यवस्था की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार सर्किट कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई हो। इससे जहाँ एक ओर संबंधित क्षेत्र की जनता को आने जाने में होने वाली असुविधा एवं खर्च से बचाया जा सका है वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की समस्याओं विशेषकर राजस्व प्रशासन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी भी मण्डल को मिलती रही है जिनके निराकरण के लिए यथासमय आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

- 3- इसके अतिरिक्त अभिभाषकगण एवं पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय में दायर प्रकरणों को कम्प्यूटराइज्ड किये जाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य से अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी तथा निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध हो पा रही है। साथ ही प्रकरण में हुये आदेश की प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है।



साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरणों में पारित आदेशों की नकल भी पक्षकारों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे नकल पक्षकारों को त्वरित गति से प्राप्त हो रही है।

- 4- राजस्व मण्डल को अपनी विशिष्ट उपलब्धियों एवं कार्यालयीन/न्यायालयीन रख-रखाव हेतु ISO 9001:2015 का सर्टिफिकेट न. 17DQBV17 दिनांक 26-07-2017 भी प्रदाय किया गया है।
- 5- राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के प्रकरणों के निराकरण में जहाँ एक ओर प्रयास किये गये हैं कि मण्डल के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी द्वारा माह में कम से कम 70/80 एवं इससे अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाये, वहीं दूसरी ओर प्रकरणों में पारित आदेशों की गुणवत्ता में भी सुधार हो, क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरणों में पारित आदेश/निर्णय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कार्य निष्पादन में दलीलों के रूप में कानूनी व्याख्या में सहायक होते हैं। इसी उद्देश्य से राजस्व एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकरणों की सुनवाई युगलपीठ या पूर्ण पीठ के द्वारा करने का प्रावधान है।
- 6- राजस्व मण्डल के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को Website/App पर उपलब्ध कराया जा रहा है व पुराने आदेश का Lamination - Digitization कराया जा रहा है।

**7 - आरसीएमएस सॉफ्टवेयर के संबंध में :-** राजस्व मंडल मध्यप्रदेश में आरसीएमएस सॉफ्टवेयर का आरंभ जून जुलाई 2018 में किया गया। राजस्व मंडल का आरसीएमएस सॉफ्टवेयर अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आरसीएमएस सॉफ्टवेयर से भिन्न है, क्योंकि इस न्यायालय की कार्यशैली अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से अलग है। राजस्व मंडल हेतु निर्मित आरसीएमएस में राजस्व मंडल में प्रचलित पूर्व वर्षों के लंबित सभी प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जा चुकी है। वर्तमान में जो भी नवीन प्रकरण राजस्व मंडल में आता है उसकी पहले आरसीएमएस में प्रविष्टि की जाती है तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही प्रकरण नंबर जनरेट किया जा रहा है, जिनके प्रकरण क्रमांक संबंधित द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः भेजे जाते हैं। मंडल के प्रत्येक न्यायालय में सुनवाई किये जा रहे प्रकरणों की वाद सूची आरसीएमएस में अपडेट की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन की वाद सूची के साथ प्रोसिडिंग्स/अंतरिम आदेश भी स्कैन करके आरसीएमएस पर अपलोड किये जा रहे हैं जिससे आमजन प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि तो ज्ञात कर ही सकता है, साथ ही प्रकरण में उसकी तारीख पर क्या सुनवाई हुई उसकी जानकारी भी ऑनलाइन देख सकता है एवं उसका प्रिन्ट भी निकाल सकता है। राजस्व मंडल के प्रकरणों में पारित सभी अंतिम आदेशों को आरसीएमएस पर अपडेट किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्व मंडल में पारित सभी आदेश आरसीएमएस पर उपलब्ध हैं। भविष्य में शीघ्र ही राजस्व मंडल के आदेशों को डिजिटल साइन के माध्यम से अपलोड कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। राजस्व मंडल द्वारा मंडल के अभिलेखागार का डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है जिसमें आरसीएमएस के आरंभ होने से पूर्व के सभी आदेश स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड किये जा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर की लिंक भी आरसीएमएस के पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध करायी जा रही है।



8- मण्डल के नवीन कार्यालय संयुक्त राजस्व भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में न्यायिक प्रकरणों का संस्थापन एवं निर्णय दर्शाने वाला माह 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की स्थिति दर्शाने वाला

**वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20**

| क्र. | 31 मार्च 2019 को प्रारंभिक विचाराधीन प्रकरणों की संख्या | 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक दायर प्रकरणों की संख्या | 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक कुल प्रकरणों की संख्या | 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक निर्णीत प्रकरण | 31 मार्च 2020 के अंत में शेष प्रकरणों की संख्या |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.   | 12909                                                   | 953                                                        | 13862                                                     | 4686                                              | 9176                                            |

लेखाधिकारी  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर

**वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20**

(आंकड़े हजार रुपये में)

| क्र.                       | योजना का नाम | वर्ष 2019-20 का प्रावधान | माह 31 मार्च 2020 तक का व्यय |
|----------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| 2052-099-3657 राजस्व बोर्ड |              |                          |                              |
| 1.                         | भारित        | 20584                    | 11192                        |
| 2.                         | मतदेय        | 60771                    | 48439                        |

लेखाधिकारी  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व मण्डल के स्वीकृत पदों की जानकारी  
दिनांक 01-01-2020 की स्थिति में

| पदनाम                | स्वीकृत पद | स्थायी | अस्थायी | भरे पद | रिक्त पद |
|----------------------|------------|--------|---------|--------|----------|
| 1                    | 2          | 3      | 4       | 5      | 6        |
| अध्यक्ष              | 1          | 1      | 0       | 1      | 0        |
| प्रशासकीय सदस्य      | 1          | 1      | 0       | 0      | 1        |
| सदस्य                | 3          | 3      | 0       | 2      | 1        |
| सचिव                 | 1          | 1      | 0       | 0      | 1        |
| अवर सचिव             | 2          | 0      | 2       | 1      | 1        |
| स्टॉफ. ऑफिसर         | 1          | 1      | 0       | 1      | 0        |
| लेखाधिकारी           | 1          | 1      | 0       | 1      | 0        |
| अनुभाग अधिकारी       | 2          | 2      | 0       | 1      | 1        |
| सहायक अनुभाग अधिकारी | 2          | 2      | 0       | 2      | 0        |
| सहायक वर्ग-1         | 10         | 8      | 2       | 5      | 5        |
| सहायक वर्ग-2         | 18         | 18     | 0       | 10     | 8        |
| वरिष्ठ निज सहायक     | 3          | 3      | 0       | 1      | 2        |
| निज सहायक            | 10         | 9      | 1       | 2      | 8        |
| दफ्तरी               | 1          | 1      | 0       | 0      | 1        |
| जमादार               | 7          | 7      | 0       | 5      | 2        |
| रिकार्ड लिफ्टर       | 1          | 1      | 0       | 0      | 1        |
| योग                  | 64         | 59     | 5       | 32     | 32       |



| सीधी भर्ती वाले पद           |     |     |    |    |    |
|------------------------------|-----|-----|----|----|----|
| ग्रन्थपाल                    | 1   | 0   | 1  | 1  | 0  |
| सहायक वर्ग-3                 | 12  | 12  | 0  | 10 | 2  |
| शीघ्र लेखक                   | 3   | 2   | 1  | 2  | 1  |
| स्टेनोग्राफिस्ट              | 5   | 5   | 0  | 5  | 0  |
| वाहन चालक                    | 7   | 0   | 7  | 4  | 3  |
| भृत्य                        | 31  | 28  | 3  | 24 | 7  |
| डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) | 6   | 0   | 6  | 0  | 6  |
| स्थाईकर्मि                   | 1   | 0   | 0  | 1  | 0  |
| सीधी भर्ती वाले पद का योग    | 66  | 47  | 18 | 47 | 19 |
| कुल योग                      | 130 | 106 | 23 | 79 | 51 |



## आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

### प्रस्तावना

राजस्व विभागान्तर्गत भू-अभिलेख संबंधी कार्यों के संचालन हेतु विभागाध्यक्ष आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय मोतीमहल, ग्वालियर में स्थित है। कार्यालय का मुख्य कार्य भू-अभिलेखों को तैयार कराना तथा अद्यतन बनाये रखना है।

### मैदानी स्तर संरचना

#### संभाग स्तर पर

उपायुक्त भू-अभिलेख

#### जिला स्तर पर

कलेक्टर

प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख

अधीक्षक भू-अभिलेख

सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख

राजस्व निरीक्षक

पटवारी



## 9. स्थापना -

स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की जानकारी (माह 01 जनवरी 2020 की स्थिति में)

| क्र. | पदनाम                                                                                                                                         | कुल स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3              | 4      | 5        |
| 1    | आयुक्त भू-अभिलेख                                                                                                                              | 01             | -      | 01       |
| 2    | अपर आयुक्त भू-अभिलेख                                                                                                                          | 01             | 01     | -        |
| 3    | संयुक्त आयुक्त भू-अभिलेख                                                                                                                      | 02             | 01     | 01       |
| 4    | संयुक्त संचालक (वित्त)                                                                                                                        | 01             | 01     | -        |
| 5    | संयुक्त संचालक (सां.)                                                                                                                         | -              | -      | -        |
| 6    | जिला भू-प्रबन्धन अधिकारी                                                                                                                      | 22             | 03     | 18       |
| 7    | उप आयुक्त (विधि)                                                                                                                              | 01             | 01     | -        |
| 8    | उप आयुक्त (सां.)                                                                                                                              | 01             | -      | 01       |
| 9    | उप आयुक्त भू-अभिलेख/उप प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान/प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शालाएं/सर्वे अधिकारी/केडेस्ट्रल अधिकारी | 16             | 07     | 09       |
| 10   | सिस्टम एनालिस्ट                                                                                                                               | 01             | 01     | -        |
| 11   | प्रोग्रामर                                                                                                                                    | 01             | -      | 01       |
| 12   | लेखा अधिकारी                                                                                                                                  | 01             | 01     | -        |
| 13   | सहायक आयुक्त (सां.)                                                                                                                           | 08             | -      | 08       |
| 14   | प्रशासनिक अधिकारी                                                                                                                             | 01             | -      | 01       |
| 15   | अधीक्षक भू-अभिलेख                                                                                                                             | 143            | 10     | 133      |
| 16   | सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख                                                                                                                       | 280            | 134    | 146      |
| 17   | राजस्व निरीक्षक                                                                                                                               | 2167           | 1608   | 559      |
| 18   | पटवारी                                                                                                                                        | 19020          | 9785   | 9235     |
| 19   | अधीक्षक मुख्यालय                                                                                                                              | 08             | 02     | 06       |
| 20   | सहायक अधीक्षक (कार्यालय)                                                                                                                      | 16             | -      | 16       |



|    |                                                           |      |      |                            |
|----|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|
| 21 | सहायक ग्रेड-1                                             | 23   | 02   | 21                         |
| 22 | ग्रंथपाल                                                  | 01   | -    | 01                         |
| 23 | सहायक ग्रेड-2                                             | 147  | 41   | 106                        |
| 24 | सहायक ग्रेड-3                                             | 337  | 279  | 58                         |
| 25 | वरिष्ठ निज सहायक                                          | 01   | 01   | -                          |
| 26 | निज सहायक                                                 | 05   | -    | 05                         |
| 27 | शीघ्रलेखक (कनिष्ठ श्रेणी)                                 | 13   | 07   | 06                         |
| 28 | स्टेनो टायपिस्ट                                           | 01   | -    | 01                         |
| 29 | पर्यवेक्षक फसल प्रयोग                                     | 21   | 01   | 20                         |
| 30 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी                                   | 22   | 06   | 16                         |
| 31 | संगणक (सां.)                                              | 31   | 07   | 24                         |
| 32 | मुख्य मानचित्रकार                                         | 01   | -    | 01                         |
| 33 | मुख्य संगणक                                               | 03   | -    | 03                         |
| 34 | वरिष्ठ श्रेणी पारगामी                                     | 04   | -    | 04                         |
| 35 | पारगामी                                                   | 08   | 05   | 03                         |
| 36 | मानचित्रकार                                               | 84   | 17   | 67                         |
| 37 | संगणक सर्वे                                               | 11   | -    | 11                         |
| 38 | अनुरेखक                                                   | 168  | 118  | 50                         |
| 39 | सहायक प्रोग्रामर                                          | 35   | 06   | 29                         |
| 40 | डाटा एन्ट्री आपरेटर (मशीन आपरेटर-1 पद)                    | 82   | 21   | 61                         |
| 41 | जूनियर डाटा एन्ट्री आपरेटर<br>(एक पद वायरमैन का सम्मिलित) | 458  | 380  | 78                         |
| 42 | सहायक लेखाधिकारी                                          | 04   | 03   | 01                         |
| 43 | वाहन चालक                                                 | 20   | 12   | 08                         |
| 44 | सुपरवाइजर                                                 | 01   | -    | 01                         |
| 45 | जमादार/दफ्तरी                                             | 09   | -    | 09                         |
| 46 | भृत्य/चतुर्थ श्रेणी नियमित                                | 1437 | 1103 | 334                        |
| 47 | कंटेनजेन्सी/कलेक्टर दर पर                                 | 1160 | 416  | 744<br>डाइंग<br>केडर घोषित |



## आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्य

### 1. भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण -

#### 1.1 भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण -

प्रदेश में भू-अभिलेख से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया गया है। अभी तक प्रदेश के समस्त 56153 ग्रामों के लगभग 1.51 करोड़ भूमि स्वामियों के 3.77 करोड़ खसरा नम्बरों का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार किया जा चुका है, जिसमें सर्वे नम्बर, क्षेत्रफल, भूमि-स्वामी का नाम, स्वामित्व का प्रकार, पूर्ण पता, जाति, मिट्टी का प्रकार, भू-राजस्व, सिंचाई साधन, फसल का नाम, इत्यादि की जानकारी सम्मिलित है। उक्त डाटाबेस का निरन्तर अद्यतन तहसील स्थित डाटा सेन्टर पर तहसीलदारों के पर्यवेक्षण एवं जिला कलेक्टर्स के नियंत्रण में किया जा रहा है।

#### 1.2 कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन/अपडेशन तथा सिटीजन सर्विसेज़ हेतु PPP Boot Model पर web based GIS solution तैयार करना-

कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों (खसरा, बी-1 एवं नक्शा) के ऑनलाइन मॉडिफिकेशन/अपडेशन तथा सिटीजन सर्विसेज़ उपलब्ध कराने के लिए पी.पी.पी. बूट मॉडल पर वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन तैयार कराया जाकर प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है, जिससे वर्तमान समय के अद्यतन अभिलेख नागरिकों को निर्धारित शुल्क पर घर बैठे उपलब्ध हो रहे हैं।

#### 1.3 विभागीय वेबसाइट -

प्रदेश का भू-अभिलेख वेब के माध्यम से आम नागरिक, बैंक, पंजीयन कार्यालय आदि सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 फरवरी 2007 से इसे विभागीय वेबसाइट पर होस्ट कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के सभी 52 जिलों की 369 तहसीलों का डाटा विभागीय वेबसाइट : [www.mpbhulekh.gov.in](http://www.mpbhulekh.gov.in) पर उपलब्ध है।

कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख (खसरा एवं नक्शा) के ऑनलाइन माडिफिकेशन/अपडेशन एवं सिटीजन सर्विसेज़ उपलब्ध कराने के लिए वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन के अन्तर्गत निम्नांकित मॉड्यूल तैयार करा लिए गए हैं-

- खसरा/बी-1 की प्रतिलिपियों के प्रदाय का मॉड्यूल
- खसरा अद्यतन/संशोधन मॉड्यूल (गिरदावरी)
- अभिलेख में अमल मॉड्यूल
- व्यपवर्तन मॉड्यूल
- नक्शा संशोधन/अद्यतन मॉड्यूल
- सुझाव एवं शिकायत (feedback - grievance module)
- अभिलेख में अमल मॉड्यूल

#### 1.4 कम्प्यूटरीकृत प्रतियों का वितरण -

कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण वर्ष 2001-02 से प्रारम्भ किया गया है। कम्प्यूटरीकृत खसरा प्रतिलिपि का वितरण अनिवार्य किए जाने से प्रदेश में कम्प्यूटरीकृत नकल वितरण में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-



| वित्तीय वर्ष                             | खसरा, बी-1 एवं नक्शा प्रतिलिपियों की पृष्ठ/सेट संख्या | प्राप्त राजस्व (रुपयों में) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2017-2018                                | 38,50,010                                             | 15,06,78,700                |
| 2018-2019                                | 26,41,766                                             | 6,22,97,567                 |
| 2019-2020 (1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 तक) | 96,56,185                                             | 21,53,42,205                |

**1.4 (ए) भूमि के नक्शों का digitization** – प्रदेश के 52 जिलों में उपलब्ध करायी गई 137084 मैपशीटों का digitization का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी जिलों के नक्शों का डाटा खसरा डाटा से लिंक करा लिया गया है तथा खसरा के साथ नक्शा भी विभागीय वेबसाइट [www.landrecords.mp.gov.in](http://www.landrecords.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

तत्समय नक्शा-विहीन, जीर्णशीर्ण होने से digitization से शेष एवं मूल ग्रामों से पृथक कर बनाए गये मज़रा टोलों की लगभग 8000 मैपशीटों में से 7477 मैपशीटों का digitization मैप आई.टी. के द्वारा कर लिया गया है। digitization से शेष मैपशीटों का digitization मैप आई.टी. के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश के सभी ग्राम डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित हो जायेंगे तथा इनका अपडेशन एवं रखरखाव आसान हो सकेगा।

#### 1.5 भूमि बंधक मॉड्यूल द्वारा किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त करने की सुविधा

सरकार द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि सभी कृषक खातेदारों को कृषि ऋण आसानी से प्रदान किये जावें। कृषि ऋण प्रदाय किये जाने पर सम्बंधित भूमि पर बंधक दर्ज करना अनिवार्य होता है। बंधक दर्ज करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया और बंधक दर्ज करने हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके तहत -

- 31 से अधिक बैंकों को ऑनलाइन बंधक दर्ज करने की सुविधा से जोड़ा गया है।
- आवेदक तथा उसके खाते की भूमि की प्रमाणिकता के लिए बैंक अपने लॉगइन (webGIS) से कृषक के खाते की भूमि की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेंगे तथा ऋण प्रदाय करने सम्बन्धी निर्णय के उपरांत बैंकयूजर अपने तथा कृषक के आधार e-KYC आधारित आवेदन WebGIS के माध्यम से संबंधित हल्के के पटवारी को भेज सकते हैं।
- भू-बंधक पोर्टल पर पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को अप्रूव किया जा रहा है।
- आज तक लगभग 7 हजार से अधिक कृषि खातों पर बंधक ऑनलाइन दर्ज किया जा चुका है।

#### 1.6 ऑनलाइन व्यपवर्तन (डायवर्सन) मॉड्यूल द्वारा डायवर्सन की सुविधा

डायवर्सन की प्रक्रिया को और अधिक नागरिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान कराई गई है। अब नागरिकों द्वारा सिर्फ पोर्टल पर गणना की गई राशि को जमा करके डायवर्सन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है।

- डायवर्सन की राशि को पेमेंट गेटवे की मदद से ट्रेजरी में ऑनलाइन चालान द्वारा जमा किया जा सकता है।
- ऑनलाइन डायवर्सन की सूचना देने मात्र से ही भूमि डाइवर्टेड मानी जाएगी।
- अब बिना सूचना किये गए निर्माण हेतु भी बिना सूचना डायवर्सन मॉड्यूल की सहायता से जुर्माना एवं डायवर्सन की



राशि जमा कर डायवर्सन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है।

- डायवर्सन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ऑनलाइन ही नक्शे एवं खसरे को अद्यतन कर दिया जाता है।

### 1.7 रिवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) एप्लीकेशन

#### नामांतरण एवं बंटवारे की सेवाएं ऑनलाइन -

नामांतरण एवं बंटवारे की प्रक्रियाओं को एकदम सरल कर पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है, जिससे कि आसानी से प्रकरणों का निराकरण एवं उच्च स्तर से मॉनीटरिंग की जा सके। पटवारी प्रतिवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जा रही है।

- RCMS पोर्टल द्वारा पक्षकार घर से ही ऑनलाइन नामांतरण एवं बंटवारे के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों जैसे लोक सेवा केंद्र, एम.पी. ऑनलाइन एवं तहसील में स्थापित आईटी सेंटरों की मदद से भी नामांतरण एवं बंटवारे के आवेदन को प्रस्तुत किया जा सकता है।
- आवेदनकर्ता को आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS द्वारा भी पहुंचाई जाती है।

#### फसल गिरदावरी का कार्य प्रभावी ढंग से करने हेतु प्रदेश में सारा एप (SARA APP) का उपयोग -

पूर्व में प्रदेश स्तर पर फसल का डाटा संकलन करने में 06 महीने से अधिक समय लग जाता था तथा उसके उपरांत भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। आज की स्थिति में सारा एप के माध्यम से एक महीने में ही फसल गिरदावरी कर पूरे प्रदेश का डाटा सटीक जानकारी के साथ उपलब्ध हो रहा है तथा उस डाटा पर उपलब्ध डैशबोर्ड की सहायता से एनालिसिस भी करने में सक्षम है।

इस डाटा का उपयोग उपार्जन, मंडी एवं अन्य विभागों के साथ ही कृषि सम्बंधित सांख्यिकी में भी किया जा रहा है।

सारा एप में मुख्य रूप से -

- एकीकृत यूजर प्रणाली (WebGIS) के माध्यम से एप में लॉगिन किया जा सकता है।
- लॉगिन उपरांत पटवारी द्वारा निम्नानुसार कार्य किए जा सकते हैं -
- फसल की जानकारी भरना
- डायवर्सन संबंधी जानकारी अंकित करना
- फसल क्षति की जानकारी भरना
- किसान द्वारा भरी फसल की जानकारी एप्रूव/रिजेक्ट करना
- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा गिरदावरी हेतु लॉगिन।

### 1.8 राजस्व विभाग की सेवाओं का एम.पी. ऑनलाइन एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जाना

नागरिक सेवाओं को प्रभावशाली ढंग से नागरिकों तक पहुँचाया जा सके, इस हेतु राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने हेतु एम.पी. ऑनलाइन एवं लोक सेवा केन्द्रों को जोड़ा गया जिससे कि ऑनलाइन कियोस्क की मदद से भी आसानी से राजस्व विभाग की सेवाओं को प्रदाय किया सके, जैसे कि भू-अभिलेख प्रतिलिपियों का वितरण। इस हेतु एम.पी. ऑनलाइन के साथ MoU किया गया है। दिनांक 2 मार्च 20 से एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क से भूमि अभिलेखों का वितरण प्रारंभ किया गया है।



**1.9 CORS (Continuously Operating Reference Station) प्रणाली को सम्पूर्ण राज्य में स्थापित करने हेतु सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MoU करने का प्रस्ताव ।**

CORS योजना में SOI से सम्पूर्ण MP में CORS Network Establish करने हेतु MOU किया गया है। CORS तकनीक में रोवर (मोबाइल डिवाइस) की सहायता से बहुत ही कम समय में एवं सटीकता से सर्वेक्षण कर इन दोनों कमियों को दूर किया जा सकता है एवं साथ ही सम्पूर्ण राज्य का भू-स्थानिक डाटा एक ही प्लेटफार्म पर संधारित किया जा सकेगा ।

- CORS नेटवर्क के उपयोग से किसी भी मौसम या परिस्थिति में सीमांकन/मानचित्रण गतिविधि सक्षमता एवं शुद्धता के साथ की जा सकती है।
- *CORS नेटवर्क के उपयोग से खेत में खड़ी फसल में भी सीमांकन/मानचित्रण गतिविधि की जा सकती है।*
- CORS Network के उपयोग से आने वाले समय में GNSS Chip के साथ स्मार्ट फोन/मोबाइल पर लोड किए गए एप से भी सीमांकन संभव होगा।

**1.10 पटवारियों को सप्ताह में दो दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर सेवाएं देने का आदेश**

- प्रत्येक पटवारी अपने हलके की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा एवं राजस्व विभाग की सेवाएं प्रदान करने एवं आमजन की कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु उपलब्ध रहेगा ।
- जिन पटवारियों के पास दो हलके हैं वो एक एक दिन ग्राम पंचायतों में अपनी सेवाएं देंगे।
- नियत दिवसों में पटवारी को ग्राम पंचायत मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा। इन दिवसों में पटवारी को समीक्षा बैठकों में नहीं बुलाया जायेगा, न ही अन्य कार्यों में लगाया जायेगा।

**1.11 पटवारियों को लैपटॉप के साथ e-basta का प्रदाय किया जाना**

पटवारियों को laptop वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत राहतगढ़ तहसील में laptop वितरण के साथ e-basta प्रदाय किया गया। इसी वित्त वर्ष से समस्त पटवारियों को laptop प्रदाय करने की योजना है।

**1.12 आबादी क्षेत्रों का सर्वे एवं अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना**

आबादी के नक्शे एवं भू-अभिलेख बनाने हेतु ड्रोन से सर्वे करते हुए प्रारूप नक्शे बनाने की योजना प्रारम्भ की गयी है, जिससे नागरिकों को आबादी भूमि के अधिकार प्रदान करने में आसानी होगी। वर्तमान में पाइलट village के तहत ग्राम वीरपुर जिला श्योपुर में आबादी का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस हेतु SOI के साथ MOU किया जा चुका है।

**2. तहसील स्थित अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण (modernize) करना-**

अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण कार्य के अन्तर्गत पूर्व से निर्मित अभिलेखागार भवन का रिनोवेशन/इलेक्ट्रिफिकेशन कर इनमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण (सर्वर, कम्प्यूटर, एम.एफ.डी., यू.पी.एस. आदि) एवं अन्य



आधुनिक उपकरण (कॉम्पेक्टर, मैप केबिनेट, एंगल रैक, एयर कण्डीशनर आदि) स्थापित कराए जा रहे हैं। आधुनिक कॉम्पेक्टर में पुराने अभिलेखों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पुराने अभिलेखों की स्केनिंग, बारकोडिंग, इन्डेक्सिंग, टेगिंग आदि करायी जा कर, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनके संधारण एवं नकल उपलब्ध कराने की कार्यवाही 42 जिलों में प्रारम्भ कर दी गई है। डिजिटल रूप में परिवर्तित इन अभिलेखों को भविष्य में वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रिट्रीव कर नकल प्राप्त करने की कार्यवाही की जाना है।

49 जिलों की 332 तहसीलों के अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण पूर्ण किया गया। 2 जिलों (छतरपुर एवं बालाघाट) में अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। 49 जिलों में अभी तक बन्दोबस्त अभिलेखों के 3,17,27,050 पृष्ठों की स्केनिंग कर ली गई है। 42 कार्य पूर्ण जिलों में बन्दोबस्त के अभिलेख की प्रतिलिपि किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है।

### 3. मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति का गठन, स्वरूप एवं उद्देश्य-

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल लैण्ड रिकार्ड्स मार्टनाइजेशन प्रोग्राम (NLRMP) के implementation एवं execution हेतु त्रिस्तरीय PMU/“म.प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति” का गठन एक सोसायटी के रूप में दिनांक 05.09.2011 को कराया गया है। समिति का पंजीयन क्रमांक 02/42/01/15278/11 है तथा स्वरूप निम्नानुसार है-

| समिति का नाम                             | स्वरूप                                                  | उद्देश्य                                         | गठन का आदेश                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शासी निकाय<br>(Governing Body)           | मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में                 | राज्य स्तर पर योजना की मॉनीटरिंग एवं रिव्यू      | समिति के गठन का प्रस्ताव, मेमोरेण्डम एवं नियमावली का मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12.7.2011 को अनुमोदित |
| कार्यकारी समिति<br>(Executive Body)      | प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में | राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग | म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-14/2011/सात-6, दिनांक 13.1.2012 द्वारा गठित                   |
| कार्यान्वयन समिति<br>(Implementing Body) | कलेक्टर की अध्यक्षता में                                | जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग  | म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-14/2011/सात-6, दिनांक 13.1.2012 द्वारा गठित                   |



मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति के शासी निकाय की बैठकों का आयोजन मान. मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में किया जा रहा है। जनवरी 2020 तक शासी निकाय की 14 बैठक एवं कार्यकारी समिति की 5 बैठक आयोजित की गई हैं।

#### 4. सांख्यिकी

**4.1- लघुसिंचाई संगणना** - पांचवीं लघु सिंचाई संगणना वर्ष 2013-14 का सम्पूर्ण कार्य समाप्त हो गया है। आगामी वर्ष के कार्य हेतु यह योजना कृषि विभाग को सौंपी गई है।

**4.2- प्रकाशन शाखा-** कृषि सांख्यिकी संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**4.3- सामान्य सांख्यिकी शाखा-** सभी जिलों से प्राप्त वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन के आधार पर राज्य स्तरीय आंकड़े तैयार किये जाते हैं।

52 जिलों से वर्ष 2018-19 की वार्षिक कृषि सांख्यिकी सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं। उनकी सारणीकरण का कार्य किया जा रहा है। दोनों प्रकाशनों का संकलन कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही कार्यालय की वेबसाइट [www.Landrecords.mp.gov.in](http://www.Landrecords.mp.gov.in) पर होस्ट कर दी जावेगी।

**4.4- थोकभाव-** कृषि जन्य पदार्थों के प्रत्येक वर्ष के थोक भाव सूचकांक वर्ष 2018-19 तक विभागीय वेबसाइट [www.Landrecords.mp.gov.in](http://www.Landrecords.mp.gov.in) पर होस्ट कराई गई है। संबंधितों को मांगने पर समय-समय पर वेबसाइट की जानकारी से अवगत कराया जाता है तथा मांगने पर संबंधितों को उपलब्ध कराई जाती है।

**4.5- प्रक्षेत्रीय भाव-** प्रक्षेत्रीय भाव का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (कृषि माह जुलाई से जून तक) प्रगति के आधार पर तैयार कर कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को माह अक्टूबर 2019 में भेजा गया है।

**4.6- ग्रामीण फुटकर बाजार भाव एवं मजदूरों की मजदूरी की जानकारी-** ग्रामीण फुटकर बाजार भाव एवं मजदूरों की मजदूरी के प्रतिवेदन सलाहकार भारत सरकार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली को समय पर भेजे जाते हैं। माह नवम्बर वर्ष 2019 का प्रतिवेदन भेजा जा चुका है।

#### 4.7- वर्षा संबंधी जानकारी-

साप्ताहिक वर्षा विवरण अक्टूबर 2018 में जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य स्तरीय जानकारी तैयार कर संबंधितों को भेजी गई है। वर्ष 2019 वर्षा मौसम में एक जून से 16-10-19 की साप्ताहिक वर्षा संबंधितों को भेज दी गई है। यह विवरण प्रति वर्ष एक जून से 15 अक्टूबर के बीच साप्ताहों में भेजा जाता है।

**4.8- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पटवारी हल्का स्तर:-** इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष मौसम खरीफ में फसल धान सिंचित धान असिंचित, सोयाबीन, तुअर, बाजरा, मक्का थी। मौसम रबी में गेहूं सिंचित गेहूं असिंचित, चना, राई सरसों, फसल कटाई प्रयोग, चुने पटवारी हल्कों में (चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर या अधिक के पटवारी हल्कों को अधिसूचित किया जाता है। पटवारी हल्का स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों के पत्रकों का कम्प्यूटराईजेशन जिला कलेक्टर के अधिनस्थ अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा औसत पैदावार की जानकारी बीमा कम्पनी भोपाल को उपलब्ध कराई जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पटवारी हल्का स्तर पर मौसम खरीफ रबी वर्ष 2019-20 अधिसूचना कृषि विभाग भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है। मौसम खरीफ 2019-20 को औसत पैदावार की जानकारी जिला अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा तैयार की जा रही है।

**4.9- नई राष्ट्रीय फसल बीमा योजना (जिला स्तरीय)** मौसम खरीफ फसल मूंग, उड़द तथा मौसम रबी फसल मसूर हेतु वर्ष 2019-20 अधिसूचित किये गये हैं।



**4.10- फसल बीमा योजना तहसील स्तरीय** - फसल बीमा योजना तहसील स्तर की उन तहसीलों में लागू है, जिनमें चुनी गई अधिसूचित फसलों का क्षेत्रफल 500 हेक्टर या अधिक है। वर्तमान में खरीफ के अंतर्गत ज्वार, तिल, कोदो, कुटकी, मूंगफली, कपास तथा रबी के अंतर्गत फसल अलसी में उक्त योजना लागू है। फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े सासा कृषि विभाग द्वारा तैयार कर बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये जाते हैं।

## 5. भू-परिमाण एवं बंदोबस्त

**5.1 अपरिमित क्षेत्रों का भू-परिमाण** - इस योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे गांव जो भू-मापित नहीं हैं, उनका भू-परिमाण कर नक्शा निर्माण करना एवं निर्मित नक्शों के आधार पर उनका अधिकार अभिलेख बनाना है। वर्तमान में प्रदेश के 30 जिलों के नगरेत्तर क्षेत्रों के नक्शा विहीन ग्रामों के नक्शा एवं अभिलेख का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से 21 जिलों का कार्य पूर्ण हो चुका है। 08 जिलों में कार्य प्रगति पर है।

## 6- भू-अभिलेख जिला प्रशासन में सुधार (राजस्व निरीक्षक), पटवारी कार्यालय सह आवास भवनों का निर्माण

| क्र. | वित्तीय वर्ष | योजना का नाम                             | राज्य योजना आयोग द्वारा वित्तीय प्रावधान | लक्ष्य  | वित्त विभाग द्वारा बजट प्रावधान | व्यय                                                |
|------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.   | 2018-19      | राजस्व निरीक्षक/ पटवारी कार्यालय सह आवास | 3267.00 लाख                              | 628 भवन | 2000.00 लाख                     | 9.66 लाख रुपये पी.डब्ल्यू.डी. को उपलब्ध कराये गये   |
| 2.   | 2019-20      | राजस्व निरीक्षक/ पटवारी कार्यालय सह आवास |                                          |         | 500.00 लाख                      | 118.72 लाख रुपये पी.डब्ल्यू.डी. को उपलब्ध कराये गये |
| 3.   | 2020-21      | ""--""                                   |                                          |         | 20.00 लाख                       |                                                     |

**6 (ए).** राज्य में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर, 02 राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला एवं 9 पटवारी प्रशिक्षण शाला संचालित हैं। विगत वर्षों में इनमें निर्माण तथा रिनोवेशन उन्नयन हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित किया गया है -

| क्रमांक | वर्ष    | प्रशिक्षण शाला की संख्या                      | प्रदाय राशि रु. |
|---------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1.      | 2019-20 | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शाला, महलगांव ग्वालियर | 5897875         |



**7. मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाया जाना व अधिकार अभिलेख बनाना-**

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा क्रमांक ए-0969 दिनांक 29.10.2010 को मजरे टोलों को पृथक राजस्व ग्राम बनाये जाने की घोषणा की गई।

घोषणा के अनुपालन में मूल एवं पृथक नवीन घोषित राजस्व ग्रामों के अधिकार अभिलेख बनाये जाने हेतु अभी तक 666 मूल ग्रामों तथा 776 पृथक नवीन राजस्व ग्रामों की अधिसूचना शासन द्वारा जारी की गई।

अध्यतन स्थिति अनुसार कुल अधिसूचित ग्रामों में से 544 मूल ग्रामों एवं 623 नवीन ग्रामों के पृथक-पृथक अधिकार अभिलेख तैयार कराये जा चुके हैं तथा 122 मूल ग्रामों एवं 153 नवीन ग्रामों के अधिकार अभिलेख तैयार कराये जाने का कार्य जिलों में प्रचलित है।

**8. विभागीय प्रशिक्षण एवं परीक्षा की जानकारी :-**

विभाग द्वारा प्रशिक्षण शालाओं में वर्ष 2019-20 में सर्वे व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया -

|    |                                   |   |    |
|----|-----------------------------------|---|----|
| 1. | परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर       | - | 18 |
| 2. | नवनियुक्त सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख | - | 16 |
| 3. | नायब तहसीलदार                     | - | 34 |
| 4. | चयनित नायब तहसीलदार               | - | 35 |
| 5. | चयनित नायब तहसीलदार               | - | 34 |

**9. ग्रामीण आबादी क्षेत्र का UAV/Drone से एकत्रित Very High Resolution Imagery का उपयोग कर 1:500 scale पर नक्शा एवं अधिकार अभिलेख (RoR) तैयार करना ।**

पूर्व में यह आवश्यक नहीं था कि प्रदेश सरकार आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराये। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 संशोधित वर्ष 2018 में यह प्रावधान किया गया कि नगरीय एवं नगरेत्तर आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण प्रदेश सरकार द्वारा कराया जावेगा तथा आबादी का नक्शा एवं अधिकार अभिलेख तैयार किया जावेगा।

इस क्रम में श्योपुर जिले के वीरपुर तहसील मुख्यालय के आबादी क्षेत्र का पायलट प्रोजेक्ट कार्य प्रारम्भ किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Sol) द्वारा UAV/Drone से आबादी क्षेत्र का Very High Resolution Imagery एकत्र कर 1:500 scale पर नक्शा तैयार कर लिया गया है। नक्शे का Validation एवं अधिकार अभिलेख (RoR) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।



**कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश**  
**वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 की जानकारी**  
**दिनांक 31.03.2020 तक स्थिति में (राशि रु. में)**

| स. क्र. | योजना का क्रमांक व नाम                                                            | गतिविधियां                                    | बजट प्रावधान 2019-20 | डी.डी.ओ. को आबंटित राशि | व्यय (31.03.2020 तक) | रिमार्क                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1       | 0456-आयुक्त भू-अभि. कार्यालय                                                      | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 107144200            | 63757926                | 75537929             |                               |
| 2       | 1904-13वीं पंचवर्षीय पशु संगणना                                                   | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 1306200              | 806121                  | 806121               | योजना शीर्ष 0456 में समायोजित |
| 3       | 6846- भू-प्रबंधन                                                                  | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 1376699000           | 902599685               | 1111513098           |                               |
| 4       | 2193-नजूल स्थापना                                                                 | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 134046000            | 125226338               | 122256142            | योजना शीर्ष 6846 में समायोजित |
| 5       | 2503-डायवर्सन                                                                     | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 149568800            | 141139399               | 141107715            | योजना शीर्ष 6846 में समायोजित |
| 6       | 3132-भू-सुधार                                                                     | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 6799600              | 5835825                 | 5812225              | योजना शीर्ष 6846 में समायोजित |
| 7       | 0767-कपास पर फसल अनुमान                                                           | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 9000                 | 0                       | 0                    | योजना शीर्ष 6846 में समायोजित |
| 8       | 1472- जिला खर्च                                                                   | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 9114733400           | 6238715716              | 7961267170           |                               |
| 9       | 2494- पदाधिकारियों को सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था | वेतन, भत्ते एवं स्थापना व अन्य कार्या. व्यय   | 6570800              | 4723607                 | 4504287              |                               |
| 10      | 6155-कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण                  | कृषकों को ऋण पुस्तिकाओं के शास. प्रेस के देयक | 3637600              | 2676945                 | 2752857              |                               |



|    |                                                                                                                                  |                                       |             |            |            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|--|
| 11 | 5070-कम्प्यूटरों का<br>उन्नयन एवं नवीन<br>तकनीकी उपकरण                                                                           | विभाग की मशीनरी<br>का उन्नयन          | 222600800   | 2880794    | 0          |  |
| 12 | 7167-एस.एल.टी.आई.<br>एवं प्रशिक्षण शालाओं<br>का उन्नयन एवं<br>आधुनिकीकरण                                                         | प्रशिक्षण शालाओं में<br>निर्माण कार्य | 21823200    | 6190566    | 6442881    |  |
| 13 | 9981- लघु सिंचाई<br>योजनाओं की संगणना<br>मानदेय तथा अन्य<br>आकस्मिक व्यय                                                         | मानदेय                                | 84000       | 267300     | 616900     |  |
| 14 | 2183-नगरीय भूमि<br>सीमा अन्तर्गत भूमि<br>धारकों को मुआवजा                                                                        | मुआवजा                                | 1000        | 0          | 0          |  |
| 15 | 6980-जिला एवं<br>प्रशासन के स्तरों के<br>सुधार की योजना<br>(रा.नि./पटवारी आवास)<br>-8                                            | निर्माण कार्य                         | 50000000    | 11872000   | 0          |  |
| 16 | 990-क्षतिपूर्ति और<br>अन्य बाण्ड्स पर ब्याज                                                                                      | ब्याज                                 | 200000      | 0          | 0          |  |
| 17 | 3329-म.प्र.भू-<br>अधिनियम 1960 के<br>अधीन भू-स्वामियों को<br>अधिक भूमि राज्य में<br>वेष्ठित करने के कारण<br>क्षतिपूर्ति पर ब्याज | क्षतिपूर्ति पर ब्याज                  | 50000       | 0          | 0          |  |
| 18 | 5390-प्रधानमंत्री<br>किसान सम्मान निधि<br>योजना                                                                                  | -                                     | 150000000   | 115027488  | 115027488  |  |
|    | योग-                                                                                                                             |                                       | 11345273600 | 7621719710 | 9547644813 |  |



## प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-425-12-1 2004-सात-(4बी) दिनांक 15 फरवरी, 2011 द्वारा राजस्व प्रशासन के सुचारु रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा भोपाल में प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई है, जो वर्तमान में प्रथम तल राहत आयुक्त भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल में संचालित है।

राज्य शासन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

प्रशासनिक दक्षता एवं जन सामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिए, शासन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त को निम्नांकित शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुरूप समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं, तदनुसार निम्न कार्य प्रमुख राजस्व आयुक्त के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये जावेंगे -

1. तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्थापना, सामान्य नियंत्रण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण आदि।
2. संभागीय आयुक्त, कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थापना।
3. संभाग, जिला कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के बजट नियंत्रण संबंधी कार्य व बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
4. नजूल भूमि एवं जारी किए गए स्थायी एवं अस्थायी पट्टे, अनुज्ञप्तियों, बेदावा करारों आदि का विवरण संधारित करना, प्रीमियम एवं भू-भाटक का निर्धारण, उगाही एवं वसूली तथा अभ्यावेदनों की सुनवाई एवं निराकरण।
5. भू-अर्जन, विभिन्न बृहद एवं लघु परियोजनाओं के लिए सड़कों आदि एवं अन्य लोक प्रयोजनों के लिये निजी भूमि के अर्जन की अनुमति।
6. नगरीय भूमि सीमा अधिनियम के अभाव में शासन हित में प्राप्त शहरी रिक्त भूमियों से आय/आवंटन।
7. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अभाव में प्राप्त अतिशेष भूमियों का आवंटन आदि।
8. निजी भूमियों का कृषि भिन्न प्रयोजनों में व्यपवर्तन, प्रीमियम निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण।
9. भू-राजस्व की वसूली।
10. आदिम जनजाति के भू-स्वामियों का हित संरक्षण।
11. राजस्व भूमियों से वृक्षों की कटाई का विनियमन।
12. निस्तार भूमि तथा चरनोई, बाजार-हाट आदि की भूमियों की व्यवस्था।
13. राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों का प्रदाय आदि।
14. राज्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए विभागों/संस्थाओं को भूमि उपलब्ध कराना।
15. विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों/नियमों/विनियम/अनुदेशों आदि के समय-समय पर आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
16. विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विधियों तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों में विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सामान्य शक्तियां।
17. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, महालेखाकार से संबंधित कार्यवाही।
18. अन्य कार्य जो समय-समय पर शासन द्वारा सौंपे जाते हैं।



प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय हेतु सेटअप स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन पुनर्वास आयुक्त कार्यालय म.प्र. से रिडिप्लाय हुये पदों के विरुद्ध आहरित किया जा रहा है।

**प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय म.प्र. वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति  
दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में**

राशि रुपये हजारों में

| स. क्र. | मांग संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | योजना                                                  | बजट प्रावधान   | कुल व्यय       | शेष आबंटन     |
|---------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1       | 2           | 3                | 4                                                      | 5              | 6              | 7             |
| 1       | 08          | 2053             | 0441 आदेशिका वाहन स्थापना                              | 1158909        | 1084172        | 74737         |
| 2       | 08          | 2053             | 0452 आयुक्त स्थापना                                    | 303823         | 218524         | 85298         |
| 3       | 08          | 2053             | 0619 उप संभागीय स्थापना                                | 2859708        | 2753975        | 105733        |
| 4       | 08          | 2053             | 1478 भूमि सुधार आयोग                                   | 12055          | 8351           | 3703          |
| 5       | 08          | 2053             | 6924 प्रमुख राजस्व आयुक्त स्थापना                      | 112830         | 66599          | 46231         |
| 6       | 08          | 2053             | 1509 जिला स्थापना                                      | 2804927        | 2511201        | 293725        |
| 7       | 08          | 2053             | 8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य                   | 27103          | 10704          | 16399         |
|         |             |                  | <b>योग लेखा शीर्ष 2053</b>                             | <b>7279355</b> | <b>6653526</b> | <b>625826</b> |
| 8       | 08          | 4059             | 5160 कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण | 70000          | 52516          | 174833        |
| 9       | 08          | 4059             | 6664 तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण               | 1540000        | 912287         | 627712        |
|         |             |                  | <b>योग मुख्य लेखा शीर्ष 4059</b>                       | <b>1610000</b> | <b>964803</b>  | <b>802545</b> |



## भवन निर्माण

तहसील, अनुविभाग, जिला एवं संभागीय कार्यालय प्रदेश की मुख्य प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रदेश में अभी भी कुछ कार्यालय भवन अत्यंत पुराने अथवा अन्य विभागों के भवनों में संचालित हैं। ऐसे कार्यालयों को आधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त भवनों में परिवर्तित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा गत वर्षों में नवीन संभाग, जिला कार्यालय भवनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। साथ ही वर्ष 2018-19 से प्रदेश में संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन (जी+2), अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन, संयुक्त तहसील कार्यालय भवन, तहसील कार्यालय भवन एवं उप तहसील (टप्पा कार्यालय) भवन हेतु मानक मानचित्र निर्धारित किये जाकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा रही है। उक्त कार्यालय भवनों में भविष्य की सभी आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

### स्वीकृत निर्माण कार्य -

| क्र. | कार्यालय का नाम                         | संख्या     | प्रस्तावित प्रति इकाई लागत (लाख रु. में) | लागत (लाख रु. में) | कुल पूर्ण | प्रगतिरत   |
|------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1    | संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन | 3          | 775.00                                   | 2325.00            | 0         | 3          |
| 2    | अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन         | 7          | 90.00                                    | 630.00             | 0         | 7          |
| 3    | संयुक्त तहसील कार्यालय भवन              | 27         | 563.00                                   | 15201.00           | 0         | 27         |
| 4    | उपतहसील कार्यालय भवन                    | 75         | 85.00                                    | 6375.00            | 2         | 73         |
|      | <b>कुल</b>                              | <b>112</b> |                                          | <b>24531.00</b>    | <b>2</b>  | <b>110</b> |

### वर्ष 2019-20 में योजनावार वित्तीय प्रगति

| क्र. | योजना का नाम                            | कुल स्वीकृत कार्य | प्रशासकीय स्वीकृत की कुल राशि | दिनांक 31.03.2020 तक अद्यतन व्यय |
|------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1    | 6664 - राजस्व कार्यालय भवनों का निर्माण | 174               | 589.11                        | 332.80                           |
| 2    | 5160 - आवासीय भवनों का निर्माण          | 70                | 139.32                        | 120.05                           |



भौतिक प्रगति की स्थिति -

| स. क्र. | योजना का नाम                                      | कुल स्वीकृत कार्य | पूर्ण | प्रगतिरत |        |       |    |          | अवरुद्ध |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|--------|-------|----|----------|---------|
|         |                                                   |                   |       | नींव     | प्लिंथ | लिनटल | छत | फिनिशिंग |         |
| 1       | 2                                                 | 3                 | 4     | 5        | 6      | 7     | 8  | 9        | 10      |
| 1       | तहसील, जिला एवं संभागीय कार्यालय के भवन निर्माण   | 63                | 55    | 0        | 0      | 0     | 0  | 07       | 0       |
| 2       | कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण | 70                | 60    | 0        | 0      | 02    | 01 | 07       | 0       |
| 3       | तहसील, उपतहसील कार्यालय भवन का निर्माण            | 111               | 02    | 17       | 15     | 12    | 44 | 20       | 01      |
|         | कुल योग                                           | 244               | 117   | 17       | 15     | 14    | 45 | 34       | 1       |

उपतहसील कार्यालय भवन बरगी, जिला जबलपुर





जिला कार्यालय भवन, आगर मालवा



जिला कार्यालय भवन, बैतूल





## राजस्व विभाग के अमले की पदपूर्ति

सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा राजस्व निरीक्षक/पटवारी/लिपिक संवर्ग से नायब तहसीलदार के पद पर पात्र 110 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई।

म.प्र. लोकसेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा द्वारा चयनित 72 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर की गई।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड म.प्र. भोपाल के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा 2018 द्वारा चयनित सहायक ग्रेड-3 के 460 एवं स्टेनोटाइपिस्ट के 90 रिक्त पदों की पूर्ति वर्ष 2019-20 में की गई।

म.प्र. शासन राजस्व विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 6-99/2019/सात/4 दिनांक 21.05.2019 द्वारा दिये गये अनुमति अनुसार विभाग अंतर्गत भृत्य के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर पात्र पाये गये प्रोसेस सर्वरों को नियमानुसार भृत्य के पद पर नियमित करने की कार्यवाही जिलास्तर पर प्रारम्भ की गई।

## प्रशिक्षण

नव-नियुक्त कुल 626 नायब तहसीलदारों का आधारभूत-सह परिचायक प्रशिक्षण आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में कराया गया है।

नवीन संशोधित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रारंभ किया गया। उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 02/03/2020 तक कुल 882 अधिकारियों (अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) को प्रशिक्षण दिया गया है।

नवीन संशोधित भू-राजस्व संहिता 1959 का दो दिवसीय प्रशिक्षण संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, अपर आयुक्तों, अपर कलेक्टरों का आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रारंभ किया गया। उक्त प्रशिक्षण में कुल 147 अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

विभाग द्वारा भू-अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम का 5 दिवसीय प्रशिक्षण जिलों में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के 52 अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद की फेकल्टी के माध्यम से दिया गया।

विभाग द्वारा पहली बार तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों का मिड कैरियर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 30 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

## राजस्व प्रकरणों का निराकरण

10. राजस्व न्यायालयों के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही, तत्परता लाये जाने एवं आम जन-मानस में राजस्व न्यायालयों के प्रति विश्वास बढ़ाने तथा मैदानी क्षेत्रों में भूमि विवादों को समाप्त करने और आम नागरिकों को राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शत-प्रतिशत उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की योजना वर्ष 2016 से सम्पूर्ण राजस्व न्यायालयों में आरंभ की गई है।

11. इस परियोजना के अंतर्गत अब तक कुल 58.17 लाख राजस्व प्रकरण दर्ज किये जाकर 51.48 लाख प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।



### RCMS की प्रगति

| क्र. | मद                | राजस्व वर्ष<br>2019-20 में<br>पंजीकृत | 31/03/2020 तक<br>लंबित कुल राजस्व<br>प्रकरण | राजस्व<br>वर्ष 2019-20 में कुल निराकृत<br>प्रकरण |
|------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | कुल राजस्व प्रकरण | 28,39,040                             | 4,54,785                                    | 23,84,255                                        |
| 2    | नामान्तरण प्रकरण  | 8,72,525                              | 1,59,084                                    | 7,13,441                                         |
| 3    | बंटवारा प्रकरण    | 1,71,753                              | 47,517                                      | 1,24,236                                         |
| 4    | सीमांकन प्रकरण    | 1,44,442                              | 24,906                                      | 1,19,536                                         |

### वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की ऑनलाइन ई-फाइलिंग

[www.mpsparrow.gov.in](http://www.mpsparrow.gov.in)

#### जूनियर प्रशासनिक सेवा संवर्ग

1. राजस्व विभाग द्वारा जूनियर प्रशासनिक सेवा संवर्ग (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) संवर्ग के अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
2. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की ई-फाइलिंग की व्यवस्था वर्षान्त 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली अवधि से लागू की जा रही है, अर्थात् दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के एवं उससे आगे भविष्य के समस्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन ई-फाइलिंग के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।
3. उपर्युक्तानुसार अंकित अवधि से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के मैनुअल लिखने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
4. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का प्रारूप एवं उसमें जानकारी भरने की प्रक्रिया तथा चैनल आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है और उक्त समस्त व्यवस्थाएं शासन द्वारा पूर्व से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही रहेंगी। केवल कार्यवाही ऑनलाइन की गई है।

#### प्रमुख राजस्व आयुक्त में पदस्थ लिपिक संवर्ग

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में पदस्थ लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
2. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की ई-फाइलिंग की व्यवस्था वर्षान्त 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि से लागू की जा रही है अर्थात् दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के एवं उससे आगे भविष्य के समस्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन ई-फाइलिंग के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।
3. उपर्युक्तानुसार अंकित अवधि से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के मैनुअल लिखने की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

#### राजस्व लोक अदालत - दिनांक 19.02.2020

प्रदेश के नागरिकों को राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए दिनांक 19.02.2020 को समस्त राजस्व न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया गया।



राजस्व लोक अदालत में अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, चक्का बटवारा, सीमांकन प्रकरण, आर.आर.सी. वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधक निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नजूल प्रकरण सहित दण्ड प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही एवं पूर्व आदेशों के राजस्व रिकार्ड में अमल संबंधित प्रकरणों का आर.सी.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से चयन दिनांक 15.01.2020 तक किया जाकर, दिनांक 19.02.2020 को राजस्व अदालत में अंतिम आदेश जारी किया गया। साथ ही पारित आदेशों को दिनांक 28.02.2020 तक अमल किया गया। सम्पूर्ण प्रदेश में 126652 राजस्व प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया गया।

### लोक अदालत की प्रगति

| क्रमांक | प्रकरण का प्रकार | कुल निराकृत प्रकरण |
|---------|------------------|--------------------|
| 1       | राजस्व           | 1,26,652           |
| 2       | दांडिक           | 17351              |
|         | कुल              | 1,44,003           |



आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल  
राजस्व विभाग मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम  
(25-11-2019 से 28-12-2019)







आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल

संभाव्युक्त और कलेक्टर एवं बरिष्ठ अधिकारियों के लिए  
“संशोधित भू-राजस्व संहिता एवं नियम” विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम

9-10 जनवरी, 2020



आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल

राजस्व विभाग के अधिकारियों हेतु नवीन संशोधित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 का प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक : 24.02.2020 से 28.02.2020 कोड क्रमांक - 715







आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल  
भू-अर्जन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ASCI Hyderabad)  
(19-07-2019 से 02-08-2019)



आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल  
नायब तहसीलदारों का परिचायत्मक प्रशिक्षण  
कोड क्रमांक 496 अवधि 01.07.2019 से 24.08.2019





## राहत आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रदेश स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की जानकारी संकलित करने और प्रदेश आपदा प्रभावितों को प्रदाय की जा रही राहत की निरन्तर मॉनीटरिंग करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के अन्तर्गत राहत आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा की गई। राजस्व विभाग अंतर्गत राहत आयुक्त कार्यालय प्राकृतिक प्रकोपों जैसे अतिवृष्टि, बाढ़, ओला, असमयवृष्टि, (बेमौसम वर्षा) पाला, शीतलहर, कीट, प्रकोप, इल्ली, टिड्डी, आंधी-तूफान, भूकंप, सूखा, एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल नुकसानी तथा जनहानि और पशुहानि होने पर प्रभावितों को त्वरित रूप से राहत पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है। विभाग यह कार्य जिला स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से संपादित करता है। प्राकृतिक प्रकोपों से कई मामलों में नागरिक बेघर हो जाते हैं, साथ ही अफलन से फसल हानि होने से उनको अप्रत्याशित क्षति उठानी पड़ती है। इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ितों को तत्काल रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधित पर आयी विपदा का मुकाबला करने के लिये उनमें मनाबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें।

प्राकृतिक आपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्देश तथा मापदण्ड राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निर्धारित किये गये हैं।

### स्थापना -

#### राहत आयुक्त कार्यालय का सेटअप -

| क्र. | पदनाम                      | स्वीकृत पदों की संख्या | भरे पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|------|----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | राहत आयुक्त                | 01                     | 01                 | 00                   |
| 2    | उप राहत आयुक्त             | 01                     | 01                 | 00                   |
| 3    | लेखाधिकारी                 | 01                     | 01                 | 00                   |
| 4    | सहायक सांख्यिकी अधिकारी    | 02                     | 00                 | 02                   |
| 5    | सहायक अंकेक्षण अधिकारी     | 01                     | 01                 | 00                   |
| 6    | सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 01                     | 00                 | 01                   |
| 7    | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर        | 02                     | 00                 | 02                   |
| 8    | अन्वेषक                    | 03                     | 01                 | 02                   |
| 9    | संगणक                      | 01                     | 00                 | 01                   |
| 10   | सहायक ग्रेड-2              | 01                     | 01                 | 00                   |
| 11   | लेखापाल                    | 01                     | 01                 | 00                   |
| 12   | सहायक ग्रेड-3              | 04                     | 04                 | 00                   |
| 13   | स्टेनो टायपिस्ट            | 01                     | 01                 | 01                   |
| 17   | डाकeraइडर                  | 02                     | 02                 | 00                   |
| 18   | चौकीदार                    | 01                     | 01                 | 00                   |
|      | कुल पद                     | 33                     | 22                 | 11                   |



2/ यह कार्यालय सभी प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत जानकारी एकत्रित कर उनका सारणीकरण कर राज्य शासन को अवगत कराता है। निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रभावितों को त्वरित तथा यथायोग्य सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस कार्यालय द्वारा वर्षाऋतु में राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे संचालित कर वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है, साथ ही आवश्यकता होने पर जिलों में तत्काल राहत सहायता हेतु हेलीकॉप्टर एवं एनडीआरएफ बल आदि की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है।

3/ भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से राहत पहुँचाने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) की स्थापना वर्ष 2010-11 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप की गई है।

एस.डी.आर.एफ. की निर्धारित राशि का 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश होता है। वर्ष 2015-16 में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश का आकार निम्नानुसार है-

| क्र. | वर्ष    | केन्द्र का भाग (75 प्रतिशत) | राज्य का भाग (25 प्रतिशत) | योग राशि करोड़ में |
|------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1    | 2015-16 | 657.75                      | 219.25                    | 877.00             |
| 2    | 2016-17 | 690.75                      | 230.25                    | 921.00             |
| 3    | 2017-18 | 725.25                      | 241.75                    | 967.00             |
| 4    | 2018-19 | 762.00                      | 254.00                    | 1016.00            |
| 5    | 2019-20 | 799.50                      | 266.50                    | 1066.00            |

4/ मध्यप्रदेश शासन आपदाओं से हुई क्षति के मामलों में प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान रखा है, जिससे प्रभावितों पर आयी आपदा का मुकाबला करने के लिए उसमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सके। इसके साथ ही समय-समय पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन कर उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है।

5/ वर्ष 2019-20 में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में नवीन संशोधन किए गए हैं जो इस प्रकार हैं -

- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छ: क्रमांक चार में संशोधन कर परिशिष्ट-1 के पद (एक) फसल हानि के लिए नोट (8-क) के पश्चात "(8-ख) किसी शासकीय जल संरचना के फूटने से कृषकों के खेतों में पानी भर जाने से हुई फसल क्षति को भी प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के समान आर्थिक सहायता दी जावेगी" जोड़ा गया।
- प्राकृतिक आपदा से पानबरेज आदि की हानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधन कर 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक फसल क्षति होने पर रुपये 30,000/- प्रति हे. या रुपये 750 प्रति पारी एवं 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर रुपये 40,000/- प्रति हे. या रुपये 1,000 प्रति पारी किया गया है।

6/ प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को हुई क्षति के अनुसार तत्काल राहत सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है। व्यापक आपदाओं के आने पर एसडीआरएफ के निर्धारित राशि एवं राज्य शासन से उपलब्ध बजट से अधिक व्यय होने की संभावना पर भारत सरकार को मेमोरेण्डम भेजा जाकर अतिरिक्त सहायता राशि की मांग राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से की जाती है।



## 7/ प्रदेश में नैसर्गिक आपदाओं की स्थिति -

वर्ष 2019 में माह जून एवं सितंबर 2019 के दौरान प्रदेश में अतिवृष्टि तथा बाढ़ की भीषण स्थिति निर्मित हुई, जिसका समूचे प्रदेश पर प्रभाव पड़ा है। बाढ़ से प्रदेश में हुई क्षति का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

- बाढ़/अतिवृष्टि से प्रदेश में 60.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति 5174 पक्के मकान 109563 कच्चे मकान 3649 झोपड़ियां तथा 3274 पशुशिविरों की क्षति 674 जनहानि एवं 1888 पशुहानि हुई है।
- प्रदेश में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई भीषण क्षति का आंकलन करने हेतु भारत सरकार से अन्तर्मंत्रालयीन दल द्वारा सितंबर में तथा अक्टूबर में प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत के द्वारा प्रदेश के 20 जिलों का दौरा किया गया।
- मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षति के संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्तर्मंत्रालयीन दल के साथ बैठक आयोजित कर आपदा के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया।

### प्रदेश में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षति



जिला विदिशा (म.प्र.)



जिला नीमच (म.प्र.)



जिला मंदसौर (म.प्र.)



### IMCT के सदस्यों द्वारा जिला राजगढ़ का भ्रमण



### IMCT के सदस्यों द्वारा जिला आगर-मालवा का भ्रमण



ग्राम आवर में केन्द्रीय दल द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण करते हुए - दि. 20-09-2019

बाढ़/अतिवृष्टि से हुई क्षति के लिए भारत सरकार को NDRF से राशि रु. 6621.28 करोड़ की मांग हेतु दिनांक 30/09/2019 को मेमोरेण्डम भेजा गया। मेमोरेण्डम में मांग की गई राशि के विरुद्ध भारत शासन द्वारा दिनांक 29/02/2020 तक राशि रु. 1749.73 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।



8/ विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में अनुदान सहायता (दिनांक 31.03.2020 तक)

| क्र. | आपदा का नाम                                | आवंटित राशि<br>(लाख रु. में) | व्यय की स्थिति<br>(लाख रु. में) |
|------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1    | सूखा                                       | 5424.43                      | 5114.79                         |
| 2    | शहरी पेयजल परिवहन                          | 480.27                       | 334.24                          |
| 3    | ग्रामीण पेयजल परिवहन                       | 243.39                       | 139.06                          |
| 4    | कीट प्रकोप                                 | 853.35                       | 852.69                          |
| 5    | पुनःस्थापना के लिए सहायता, अन्य कार्य हेतु | 4.80                         | 4.56                            |
| 6    | पाला                                       | 663.48                       | 630.47                          |
| 7    | राहत उपकरण क्रय                            | 9452.70                      | 9378.33                         |

कुल योग :- रु. 17 122.42 (रुपये एक सौ इकहत्तर

रु. 16454.14

करोड़ बाईस लाख बयालीस हजार)

(रु. एक सौ चौसठ करोड़ चौवन लाख चौदह हजार)

उप राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश

9/ विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में ग्लोबल मदों में अनुदान सहायता (दिनांक 31.03.2020 तक)

| क्रमांक | आपदा का नाम                                                 | व्यय की स्थिति (लाख रु. में) |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | अग्नि पीड़ितों को राहत                                      | 3016.74                      |
| 2       | ओला पीड़ितों को राहत                                        | 13234.38                     |
| 3       | बाढ़/अतिवृष्टि पीड़ितों को राहत                             | 226714.17                    |
| 4       | राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता | 18148.19                     |
| 5       | सर्पदंश पर आर्थिक सहायता                                    | 10845.21                     |
| 6       | वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति                             | 150.37                       |
|         | योग                                                         | 272109.06                    |

रु. 272109.06 (रु.दो हजार सात सौ इक्कीस करोड़ नौ लाख छः हजार)

उप राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश



## पुनर्वास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल

**1. विभागीय संरचना -**

विभागाध्यक्ष स्तर पर पुनर्वास आयुक्त तथा उप पुनर्वास आयुक्त है।

**2. कार्यालय -**

राजस्व (पुनर्वास) विभाग के दायित्वों के निर्वहन और क्रियान्वयन के लिये पुनर्वास आयुक्त कार्यालय राजस्व - राहत भवन में है, जिसमें अमला पुनर्वास आयुक्त तथा उप पुनर्वास आयुक्त के अधीन कार्य करता है।

**3. विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण -**

पुनर्वास आयुक्त कार्यालय के अन्तर्गत कोई मण्डल/उपक्रम/संस्था कार्यरत नहीं है।

**4. अधीनस्थ कार्यालय -**

|    |                                                                |                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | कार्यालय कार्यव्यवस्थापक सी.सी.एफ. इकाई इटारसी, जिला होशंगाबाद | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी के पास अतिरिक्त प्रभार |
| 2. | कार्यालय कार्यव्यवस्थापक सी.सी.एफ. इकाई हरदा, जिला हरदा        | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी के पास अतिरिक्त प्रभार |
| 3. | प्रभारी अधिकारी पुनर्वास परियोजना शाहपुर, जिला बैतूल।          | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के पास अतिरिक्त प्रभार |

**5. वित्तीय वर्ष 2019-2020 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति (जानकारी माह मार्च, 2020 की स्थिति में)**

| स.क्र. | मॉग संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | योजना                                                                             | बजट प्रावधान   | कुल व्यय       | शेष आवंटन     | रिमार्क |
|--------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 1      | 08         | 2235             | 2709-प्रधान कार्यालय के कर्मचारीवृंद पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए (नये) | 43.38<br>(लाख) | 34.21<br>(लाख) | 9.17<br>(लाख) |         |

### पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में प्रचलित गतिविधियां

- दिनांक 01-04-1984 के पश्चात् विस्थापितों को दिये गये ऋणों के अपलेखन संबंधी कार्य (बैतूल, पन्ना, सतना, उज्जैन, इन्दौर, राजगढ़) राशि रुपये 59.31 लाख के सर्टिफिकेट भारत सरकार को प्रेषित करना।
- दिनांक 01-04-1984 के पूर्व विस्थापितों को भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के अपलेखन का कार्य। भारत सरकार द्वारा कुल ऋण राशि रुपये 5,74,24,370=23 के अपलेखन स्वीकृत दी गई है। विभिन्न जिलों के विस्थापितों को दिये गये ऋण राशि रुपये 5,66,01,022=51 अपलेखन की स्वीकृति जारी की गई है। शेष राशि रुपये 8,23,347=72 का अपलेखन किया जाना है। भोपाल जिला शेष बचा है।



3. भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में विस्थापितों के बसाहट के रूप में दिये गये ऋण माफ किये जाने के परिप्रेक्ष्य में विस्थापितों के ऋण के एवज में उनकी रखी गई मकानों की रजिस्ट्रियां के विमुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। जिला मण्डला के 33, बालाघाट के 02, इन्दौर के 128 तथा जिला देवास के 43 विस्थापित परिवारों के मकानों की रजिस्ट्रियां विमुक्त कराई गई हैं। अन्य जिलों यथा छतरपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, सीहोर, टीकमगढ़, दमोह, ग्वालियर, मुरैना, सागर, मंदसौर, पन्ना, सिवनी, गुना, विदिशा, बैतूल, सतना, जबलपुर, देवास, रायसेन, उज्जैन, छिंदवाड़ा, खंडवा एवं इन्दौर के बंगाली विस्थापितों की रजिस्ट्रियां विमुक्त कराने का कार्य प्रचलित है।
4. पुनर्वास परियोजना शाहपुर जिला बैतूल स्थित ग्राम लखीपुर के निस्तारी तालाब को दिनांक 15-08-1984 को अतिवृष्टि से हानि प्रकरण के निराकरण संबंधी कार्य ।
5. सी.सी.एफ. यूनिट हरदा जिला में दिनांक 24-06-1985 तेज हवा एवं तूफान से शासन को हुई हानि प्रकरण के निराकरण संबंधी कार्य ।
6. निष्क्रांत संपत्तियों के प्रकरणों के निराकरण से प्राप्त चालानों का संधारण ।
7. सी.सी.एफ. यूनिट इटारसी की विभिन्न विभाग पर राशि रुपये 28,28,000/- तथा हरदा की राशि रुपये 8,71,000/- कुल राशि रुपये 36,99,000/- बकाया राशि (जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा लघु उद्योग निगम से वसूली का कार्य ।
8. बंगाली विस्थापितों के पट्टों से संबंधित कार्य ।

#### बंगाली विस्थापितों को आवंटित पट्टों की जानकारी

| परियोजना          | बंगाली विस्थापितों की बसाहट का कार्य | विस्थापितों को पट्टा वितरण का कार्य |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| हरदुआ जिला पन्ना  | 772                                  | 772                                 |
| उसरार जिला सतना   | 247                                  | 234                                 |
| शाहपुर जिला बैतूल | 2618                                 | 1697                                |



राजस्व विभाग के अधीन (विभागाध्यक्ष) पुनर्वास आयुक्त कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय सी.सी.एफ. इकाईयों एवं परियोजनाओं में उपलब्ध पदों का विवरण

| क्र. | कार्यालय का नाम                                     | स्वीकृत पद का नाम              | पदों की संख्या | भरे पद    | रिक्त पद  | योग                                             |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                                                 | (3)                            | (4)            | (5)       | (6)       | (7)                                             |
| 1.   | पुनर्वास आयुक्त कार्यालय,<br>राजस्व-राहत भवन, भोपाल |                                |                |           |           |                                                 |
|      | 1.                                                  | पुनर्वास आयुक्त                | 01             | 0         | 01        | 01 प्रमुख सचिव राजस्व के पास अतिरिक्त प्रभार    |
|      | 2.                                                  | सहायक कार्यव्यवस्थापक          | 01             | 0         | 01        | 01                                              |
|      | 3.                                                  | सहायक ग्रेड-1                  | 01             | 01        | 0         | 01                                              |
|      | 4.                                                  | सहायक ग्रेड-2                  | 01             | 0         | 01        | 01                                              |
|      | 5.                                                  | तकनीकी सहायक                   | 01             | 0         | 01        | 01                                              |
|      | 6.                                                  | सहायक ग्रेड-3                  | 01             | 01        | 0         | 01                                              |
|      | 7.                                                  | दफ्तरी                         | 01             | 01        | 0         | 01                                              |
|      | 8.                                                  | भृत्य                          | 01             | 01        | 0         | 01                                              |
|      |                                                     | <b>योग</b>                     | <b>08</b>      | <b>04</b> | <b>04</b> | <b>08</b>                                       |
| 2.   | पुनर्वास परियोजना शाहपुर, जिला - बैतूल              |                                |                |           |           | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के पास प्रभार  |
|      | 1.                                                  | सहायक ग्रेड-3                  | 01             | 0         | 01        | 01                                              |
|      | 2.                                                  | भृत्य                          | 01             | 01        | 0         | 01                                              |
|      |                                                     | <b>योग</b>                     | <b>02</b>      | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>02</b>                                       |
| 3    | कार्यव्यवस्थापक सी.एफ. इकाई इटारसी, जिला-होशंगाबाद  |                                |                |           |           |                                                 |
|      | 1.                                                  | कार्यव्यवस्थापक                | 01             | 0         | 01        | 01 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा के पास प्रभार |
|      | 2.                                                  | चौकीदार                        | 01             | 0         | 01        | 01                                              |
|      |                                                     | <b>योग</b>                     | <b>02</b>      | <b>0</b>  | <b>02</b> | <b>02</b>                                       |
| 4    | सी.सी.एफ. इकाई हरदा, जिला - हरदा                    |                                |                |           |           | अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा के पास प्रभार    |
|      | 1.                                                  | उप कार्यव्यवस्थापक             | 01             | 0         | 01        | 01                                              |
|      |                                                     | <b>योग</b>                     | <b>01</b>      | <b>0</b>  | <b>01</b> | <b>01</b>                                       |
|      |                                                     | <b>कुल स्वीकृत पदों का योग</b> | <b>13</b>      | <b>05</b> | <b>08</b> | <b>13</b>                                       |



## नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

### विभागीय संरचना -

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत क्रमशः भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा में स्थित मुद्रणालयों से जिलों का सम्बद्धीकरण निम्नानुसार है।

| स.क्र. | मुद्रणालय का नाम                             | जिलों का नाम                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                            | 3                                                                                                                         |
| 1      | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल 14 जिले    | भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, छिदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला एवं राजगढ़।      |
| 2      | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर 12 जिले | ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, सागर, दमोह, छतरपुर एवं टीकमगढ़।                          |
| 3      | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर 15 जिले   | इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, शाजापुर आगर-मालवा। |
| 4      | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा 10 जिले     | रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी, अनूपपुर, कटनी एवं पन्ना।                                             |

कार्यालय सहायक नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर के कार्यालयों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपरान्त बंद किया गया। उक्त कार्यालयों के स्वीकृत पदों को मुख्यालय एवं अधीनस्थ मुद्रणालयों के स्वीकृत पदों में जोड़ा गया है।

### सेटअप की जानकारी

| स.क्र. | श्रेणी         | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|--------|----------------|------------|--------|----------|
| 1      | प्रथम श्रेणी   | 07         | 06     | 01       |
| 2      | द्वितीय श्रेणी | 09         | 01     | 08       |
| 3      | तृतीय श्रेणी   | 961        | 454    | 507      |
| 4      | चतुर्थ श्रेणी  | 304        | 151    | 153      |
| 5      | आकस्मिकता निधि | 05         | 02     | 03       |
|        | योग            | 1286       | 614    | 672      |



## नियंत्रक के दायित्व

म.प्र. राजपत्र का प्रकाशन, विधानसभा प्रश्नोत्तर एवं कार्यवाही विवरण का मुद्रण, विभिन्न निर्वाचनों हेतु मतपत्रों, निर्वाचन संबंधी प्रपत्र एवं लिफाफों का मुद्रण, बजट (अनुदानों की मांग) पुस्तिका का मुद्रण, शेड्यूल प्रपत्रों का मुद्रण एवं अन्य सामग्रियों का मुद्रण, शासकीय डायरी एवं कैलेण्डर का मुद्रण तथा प्रकाशन। म.प्र. शासन के समस्त शासकीय विभागों को उनकी मांग अनुसार सामग्री का मुद्रण कर प्रदाय करना।

## सामान्य या प्रमुख विशेषताएं

विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/कार्यालयों की अनुसूची एवं गैर अनुसूची प्रपत्रों एवं बुकों, राजपत्र, बजट अनुमान पुस्तिका, विधानसभा प्रश्नावली एवं कार्यवाही विवरण के साथ मतपत्र मुद्रण के अति गोपनीय कार्यों एवं नवीन वर्ष के शासकीय डायरी/कैलेण्डर का मुद्रण कर प्रदाय करना।

म.प्र. राजपत्र एवं असाधारण राजपत्र को विभाग की वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) पर माह सितम्बर 2010 से अपलोड किया जा रहा है, जिससे शासकीय विभागों एवं जन सामान्य को सुगमता से राजपत्र प्राप्त करने में सुविधा होती है।

## मुद्रणालय का आधुनिकीकरण

शासकीय मुद्रणालय के आधुनिकीकरण हेतु परामर्शी की नियुक्ति की गई है। परामर्शी द्वारा इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। कार्य योजना के अनुसार योजना मद में प्राप्त राशि से मशीनों का क्रय कर मुद्रणालय का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

## सोलर ऊर्जा

शासकीय प्रेस भोपाल के भवन पर सोलर ऊर्जा सिस्टम लगाने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा अधिकृत संस्था से अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। इसके कार्यशील होने पर बिजली की बचत होगी तथा बिजली देयक की राशि में कमी आयेगी एवं बिजली अवरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, साथ ही पर्यावरण में प्रदूषण की कमी आयेगी।



## भौतिक लक्ष्य

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की स्थिति में

| स. क्र. | मुद्रणालय का नाम                     | वार्षिक निर्धारित लक्ष्य |                           | वार्षिक लक्ष्य के आधार पर मार्च 2020 तक का लक्ष्य |                           | प्राप्त उत्पादन द्वितीय त्रैमास |                           | प्रतिशत द्वितीय त्रैमास |                           |
|---------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|         |                                      | मुद्रण ए/2 आकार में      | कम्पोज पृष्ठ ए/4 आकार में | मुद्रण ए/2 आकार में                               | कम्पोज पृष्ठ ए/4 आकार में | मुद्रण ए/2 आकार में             | कम्पोज पृष्ठ ए/4 आकार में | मुद्रण ए/2 आकार में     | कम्पोज पृष्ठ ए/4 आकार में |
| 1       | 2                                    | 3                        | 4                         | 5                                                 | 6                         | 7                               | 8                         | 9                       | 10                        |
| 1       | शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल    | 10,00,00,000             | 40,000                    | 10,00,00,000                                      | 40,000                    | 4,08,39,632                     | 26,517                    | 40.83%                  | 66.29%                    |
| 2       | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर | 3,00,00,000              | 15,000                    | 3,00,00,000                                       | 15,000                    | 1,70,35,242                     | 5,771                     | 56.78%                  | 38.47%                    |
| 3       | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर   | 2,50,00,000              | 5,000                     | 2,50,00,000                                       | 5,000                     | 79,96,625                       | 2,317                     | 31.98%                  | 46.34%                    |
| 4       | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा     | 1,50,00,000              | 4,000                     | 1,50,00,000                                       | 4,000                     | 58,72,857                       | 2,862                     | 39.15%                  | 71.55%                    |
|         | योग :                                | 17,00,00,000             | 64,000                    | 17,00,00,000                                      | 64,000                    | 7,17,44,356                     | 37,467                    | 42.20%                  | 58.54%                    |

## आर्थिक लक्ष्य के विरुद्ध बिलिंग का पत्रक

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की स्थिति में

| स.क्र. | मुद्रणालय/डिपो का नाम                        | निर्धारित वार्षिक लक्ष्य | निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के आधार पर मार्च 2020 तक का लक्ष्य | अप्रैल से मार्च 2020 तक की बिलिंग की राशि द्वितीय त्रैमास | प्रतिशत द्वितीय त्रैमास |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                            | 3                        | 4                                                           | 5                                                         | 6                       |
| 1      | शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, मुद्रणालय, भोपाल | 20,00,00,000=00          | 20,00,00,000=00                                             | 14,64,31,799=00                                           | 73.21%                  |



|   |                                            |                 |                 |                 |          |
|---|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2 | शासकीय क्षेत्रीय<br>मुद्रणालय,<br>ग्वालियर | 10,00,00,000=00 | 10,00,00,000=00 | 3,34,93,393=00  | 33.499%  |
| 3 | शासकीय क्षेत्रीय<br>मुद्रणालय, इन्दौर      | 5,00,00,000=00  | 5,00,00,000=00  | 1,14,70,342=00  | 22.94%   |
| 4 | शासकीय क्षेत्रीय<br>मुद्रणालय, रीवा        | 3,00,00,000=00  | 3,00,00,000=00  | 86,67,997=00    | 28.89%   |
|   | योग                                        | 38,00,00,000=00 | 38,00,00,000=00 | 20,00,63,531=00 | 52.64. % |

### लम्बित राशि एवं विभागीय आय मद में प्राप्तियों का पत्रक

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की स्थिति में

| स.<br>क्र. | मुद्रणालय<br>का नाम                           | दिनांक 31-3-19<br>की स्थिति में<br>लम्बित राशि | दिनांक<br>31-3-20 की<br>स्थिति में लम्बित<br>राशि में से वसूल<br>की गई राशि | वर्ष<br>2019-20<br>हेतु निर्धारित<br>आर्थिक लक्ष्य<br>(वर्ष<br>2018-19<br>अनुसार) | आर्थिक लक्ष्य के<br>विरुद्ध प्राप्त<br>राशि | योग कॉलम<br>क्रमांक 4 एवं<br>6 |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                             | 3                                              | 4                                                                           | 5                                                                                 | 6                                           | 7                              |
| 1          | शासकीय<br>केन्द्रीय<br>मुद्रणालय,<br>भोपाल    | 53,72,37,661=42                                | 1,71,51,040=00                                                              | 20,00,00,000                                                                      | 9,77,59,169                                 | 11,49,10,209                   |
| 2          | शासकीय<br>क्षेत्रीय<br>मुद्रणालय,<br>ग्वालियर | 46,13,34,660=59                                | 67,54,766=70                                                                | 10,00,00,000                                                                      | 16,76,724=90                                | 84,31,491                      |
| 3          | शासकीय<br>क्षेत्रीय<br>मुद्रणालय,<br>इन्दौर   | 19,72,38,666=30                                | 75,93,890                                                                   | 5,00,00,000                                                                       | 44,88,179                                   | 1,20,82,069                    |
| 4          | शासकीय<br>क्षेत्रीय<br>मुद्रणालय,<br>रीवा     | 14,17,99,366                                   | 1,11,12,600                                                                 | 3,00,00,000                                                                       | 5,51,971                                    | 1,16,64,571                    |
|            | योग :                                         | 1,33,76,10,354=31                              | 4,26,12,296=70                                                              | 38,00,00,000                                                                      | 10,44,76,043=90                             | 14,70,88,340                   |



**बजट प्रावधान एवं व्यय -**

मांग संख्या-08 एवं 09 शीर्ष 2058-लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के बजट का वर्ष 2019-20 का विवरण पत्रक निम्नानुसार है -

| बजट शीर्ष                    | मांग संख्या | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रावधान | दिनांक 31-3-2020 तक व्यय | शेष राशि                  |
|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2058 लेखन सामग्री एवं मुद्रण | 8           | 2286         | 21751000<br>भारित 60,000         | 17614689                 | 4136311<br>भारित 60,000   |
|                              | 9           | 2286         | 14301000<br>भारित 40,000         | 9912487                  | 4388513<br>भारित 40,000   |
|                              | 8           | 4202         | 324931000                        | 242694823                | 82236177                  |
|                              | 8           | 797-71       | 1348000                          | 0                        | 1348000                   |
|                              | 9           | 4202         | 210992000                        | 170503766                | 40488234                  |
|                              | 9           | 301          | 15000000                         | 10425768                 | 4574232                   |
|                              | 9           | 797-71       | 2408000                          | 0                        | 2408000                   |
|                              | 8           | 3427         | 54000000                         | 678980                   | 53321020                  |
|                              | 9           | 3427         | 36000000                         | 0                        | 36000000                  |
|                              |             | कुल योग      | 680731000<br>भारित 100000        | 451830513                | 228900487<br>भारित 100000 |

नियंत्रक  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
म.प्र., भोपाल



## मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय एवं निजी भूमियों के प्रबंधन से संबंधित बिन्दुओं की समग्र समीक्षा कर राज्य शासन को अनुसंशाएँ प्रस्तुत करने के लिए राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन दिनांक 25.08.2015 को किया गया है। आयोग से अपेक्षा की गई है कि वह निम्न बिन्दुओं पर अपनी अनुसंशाएं दे –

1. भूमियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक विधिक संशोधन।
2. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के उपाय।
3. भूमिस्वामियों, पट्टेदारों एवं अन्य भूमिधारकों और प्रशासन के बीच संव्यवहार को सरल एवं नागरिकोन्मुखी बनाना।
4. राजस्व सेवाओं के प्रभावी प्रदाय के उपाय।
5. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के भूमिस्वामियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों के हित संरक्षण के उपाय।

2/ सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक-19 7.9.2015/1/4 दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 द्वारा आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, सेवानिवृत्त, महानिदेशक, प्रशासन अकादमी को और सदस्य सचिव के पद पर श्री अशोक कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त, उपायुक्त (विधि) को नियुक्त किया गया।

वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त एक वरिष्ठ सलाहकार श्री ए.के. सिंह, सेवानिवृत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्यरत हैं।

3/ आयोग द्वारा अब तक 8 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं

|                          |                                                                                                |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| प्रतिवेदन<br>क्रमांक 1 : | राज्य में भूदान भूमियों और भूदान धारकों की स्थिति और भविष्य की दिशा                            | जनवरी<br>2017  |
| प्रतिवेदन<br>क्रमांक 2 : | भूमि और राजस्व प्रशासन में सुधार :<br>राजस्व मण्डल की समीक्षा                                  | अप्रैल<br>2017 |
| प्रतिवेदन<br>क्रमांक 3 : | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन के प्रस्ताव :<br>प्रथम चरण                        | अप्रैल<br>2018 |
| प्रतिवेदन<br>क्रमांक 4 : | भाग-1<br>मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 एवं 60 के अंतर्गत नये नियमों का प्रस्ताव | अगस्त<br>2018  |

### भाग-2

- (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2(1)(फ), 58-क(ख), 59 (1) (च) तथा 104 (2) के अंतर्गत प्रस्तावित अधिसूचनाओं के प्रारूप
- (ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 का प्रस्तावित प्रारूप
- (ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (अनुचित रूप से बे-कब्जा किये गये भूमिस्वामी का पुनर्स्थापन) नियम, 2018 का प्रस्तावित प्रारूप



### भाग-3

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 एवं 129 के अंतर्गत नये नियमों का प्रस्ताव

|                       |                                                                                               |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| प्रतिवेदन क्रमांक 5 : | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 का प्रस्तावित प्रारूप | मई 2019    |
| प्रतिवेदन क्रमांक 6 : | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 का प्रारूप                                  | जनवरी 2020 |
| प्रतिवेदन क्रमांक 7 : | मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2019 का प्रारूप                                       | जनवरी 2020 |
| प्रतिवेदन क्रमांक 8 : | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब.उल.अर्ज) नियम, 2019 का प्रारूप     | जनवरी 2020 |

4/ आयोग के प्रतिवेदन क्रमांक 3 की अनुशंसाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 विधानसभा में प्रस्तुत कर इसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में पारित कराया जाकर दिनांक 25 सितम्बर, 2018 से प्रभावशील किया गया।

5/ राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में किए गए संशोधनों के परिणाम स्वरूप संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत बने नियमों की समीक्षा कर नियमों में संशोधन करने या नये नियम बनाने के लिए नियमों के प्रारूपण हेतु आयोग के अध्यक्ष श्री दाणी की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति का गठन किया गया, जिसमें श्री हरिरंजन राव, तत्कालीन प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, श्री एम. सेल्वेन्द्रन, तत्कालीन आयुक्त, भू-अभिलेख, श्री अशोक कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव राज्य भूमि सुधार आयोग तथा सचिव राजस्व मण्डल को सदस्य नामांकित किया गया और डॉ. भारती गुप्ता उपायुक्त (विधि) को संयोजक नियुक्त किया गया।

6/ आयोग एवं उक्त प्रारूपण समिति द्वारा संयुक्त रूप से विचार कर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के कतिपय प्रावधानों के प्रारूपण का कार्य किया गया। आयोग के प्रतिवेदन क्रमांक 4 से 8 तक विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत नियमों के प्रारूप तैयार करते हुए आयोग ने अपनी अनुशंसाओं राज्य शासन को प्रेषित की हैं। राज्य शासन द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक 4, 5 एवं 8 में दी गई अनुशंसाओं को विचार में लेते हुए संहिता के कतिपय प्रावधानों के अधीन नियम बनाकर प्रभावशील किए हैं जिनके विवरण ऊपर कंडिका 3 में दिए गए हैं।

7/ आयोग के प्रतिवेदन क्रमांक 6 में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में कतिपय संशोधनों के लिए अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई थीं, जिन पर राज्य शासन द्वारा विचार करते हुए उक्त अनुशंसाओं के अनुक्रम में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 विधानसभा में प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 पारित कराया जाकर दिनांक 12 फरवरी, 2020 को प्रभावशील किया गया है।

8/ आयोग के प्रतिवेदन क्रमांक 7 मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2019 विषय पर केन्द्रित करते हुए आयोग द्वारा शासकीय नजूल भूमियों के निर्वर्तन के विषय में अब तक समय-समय पर जारी किए गए समस्त निर्देशों/परिपत्रों का अध्ययन कर उन्हें समेकित तथा व्यवस्थित स्वरूप में प्रारूपित किया गया है। यह प्रतिवेदन राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से निरंतर चर्चा और संवाद करने के उपरांत नयी अवधारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए तैयार किया गया है, जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।



## राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में जारी निर्देश

| क्र.                         | परिपत्र                                                                                                                                                                                    | विवरण                                                                                                                                                                                      | तिथि         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>राजस्व पुस्तक परिपत्र</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |              |
| 1.                           | व्यपवर्तित भूमियों के नामांतरण के सम्बन्ध में आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 1063/2019                                                                                      | व्यपवर्तित भूमियों के नामांतरण के सम्बन्ध में आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 1063/2019                                                                                      | 26 Oct, 2019 |
| 2.                           | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 और अन्य अधिनियमों आदि के अधीन राजस्व मामलों के पंजीयन के अतिरिक्त नवीन शीर्षा                                                                            | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 और अन्य अधिनियमों आदि के अधीन राजस्व मामलों के पंजीयन के अतिरिक्त नवीन शीर्षा                                                                            | 23 Oct, 2019 |
| 3.                           | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अन्तर्गत पूर्व में किए गए व्यपवर्तन की डाटा एंट्री बावत                                                | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अन्तर्गत पूर्व में किए गए व्यपवर्तन की डाटा एंट्री बावत                                                | 21 Jun, 2019 |
| 4.                           | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश                                                                             | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश                                                                             | 08 Apr, 2019 |
| <b>भू-अर्जन</b>              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |              |
| 1.                           | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 अंतर्गत निर्देश (Reference) के मामले में देय प्रतिकर राशि जमा करने के संबंध में | भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 अंतर्गत निर्देश (Reference) के मामले में देय प्रतिकर राशि जमा करने के संबंध में | 18 Feb, 2020 |
| 2.                           | भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं/ नियम /परिपत्र                      | भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं/ नियम /परिपत्र                      | 01 Oct, 2019 |



| मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.                                | म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 183 के अन्तर्गत नगरीय/विकास योजना क्षेत्रों में अवस्थित सेवा भूमि के मामलों में कार्यवाही                                                                                | म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 183 के अन्तर्गत नगरीय/विकास योजना क्षेत्रों में अवस्थित सेवा भूमि के मामलों में कार्यवाही                                                                                | 22 Feb, 2020 |
| 2.                                | म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अन्तर्गत अधिसूचना के संबंध में                                                                                                                                    | म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 के अन्तर्गत अधिसूचना के संबंध में                                                                                                                                    | 16 Jan, 2020 |
| 3.                                | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के संबंध में मार्गदर्शन                                                                                                                                          | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के संबंध में मार्गदर्शन                                                                                                                                          | 14 Nov, 2019 |
| 4.                                | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(3) एवं 165(7-ख) के संबंध में दिशा-निर्देश                                                                                                                        | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 158(3) एवं 165(7-ख) के संबंध में दिशा-निर्देश                                                                                                                        | 29 Oct, 2019 |
| 5.                                | आदेश "रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम" (RCMS)                                                                                                                                                                    | आदेश "रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम" (RCMS)                                                                                                                                                                    | 24 Oct, 2019 |
| 6.                                | कंप्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि के प्रदाय एवं समाधान एक दिवस अंतर्गत सेवा 4.2 एवं 4.3 के तहत प्रतिलिपि प्रदाय की प्रक्रिया                                                                             | कंप्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि के प्रदाय एवं समाधान एक दिवस अंतर्गत सेवा 4.2 एवं 4.3 के तहत प्रतिलिपि प्रदाय की प्रक्रिया                                                                             | 31 Jul, 2019 |
| 7.                                | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अन्तर्गत पूर्व में किये गए व्यपवर्तन की डाटा एंट्री बाबत-आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 537/11/भू.प्र./2019 | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अन्तर्गत पूर्व में किये गए व्यपवर्तन की डाटा एंट्री बाबत-आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 537/11/भू.प्र./2019 | 21 Jun, 2019 |
| 8.                                | कृषि भूमि पर बैंक बंधक दर्ज एवं विमुक्त करने बाबत - आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 537A /11/भू.प्र./2019                                                                                        | कृषि भूमि पर बैंक बंधक दर्ज एवं विमुक्त करने बाबत - आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 537A /11/भू.प्र./2019                                                                                        | 21 Jun, 2019 |
| 9.                                | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) के नियम 2018 के तहत भू-राजस्व का निर्धारण तथा मांग कायमी                                                                                 | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) के नियम 2018 के तहत भू-राजस्व का निर्धारण तथा मांग कायमी                                                                                 | 09 Apr, 2019 |



राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण वेबसाइट

[www.revenue.mp.gov.in](http://www.revenue.mp.gov.in)

[www.prc.mp.gov.in](http://www.prc.mp.gov.in)

[www.rcms.mp.gov.in](http://www.rcms.mp.gov.in)

[www.boardofrevenue.mp.gov.in](http://www.boardofrevenue.mp.gov.in)

[www.landrecords.mp.gov.in](http://www.landrecords.mp.gov.in)

[www.mpbhulekh.gov.in](http://www.mpbhulekh.gov.in)

राजस्व विभाग

प्रमुख राजस्व आयुक्त

राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण पोर्टल

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश भू-लेख पोर्टल

